4.00 P.M.

THE HAJ COMMITTEE BILL, 2000

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Jaswant Singh, I beg to move :

> "That a Bill to establish a Haj Committee of India and State Haj Committees for making arrangements for the pilgrimage of Muslims for Haj, and for matters connected therewith, be taken into consideration".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): M. Vice-Chairman, Sir, I rise to welcome the Haj Bill, 2000. It has taken almost five years to draft the Bill. I congratulate the hon. Minister for piloting the Bill.

Sir, this Bill seeks to replace the Haj Committee Bill of 1959. Sir, Haj is a sacred duty cast upon every Muslim. It is one of the five pillars of Islam. It is obligatory on every Muslim, who can afford, to perform Haj once in his life time.

Sir, India has the second largest population who subscribe to the faith of Islam. Hence India, has to play a very major role in the management of Haj. Since the advent of Islam in India, one thousand to two thousand years ago, people have been performing Haj either by road or by sea and they will continue to perform it till the Dooms Day. Hence, in a democratic country, it is our Constitutional right under Article 25 of the Constitution. Because it is one of the five pillars of Islam, it is the duty of the State to provide facilities to perform Haj, which will be part of this religious obligation under Article 25 of the Constitution. Rightly so, the Government of India in 1959 enacted an Act to manage the Haj affairs. After 40 years it was thought necessary that the Act needs a lot of changes because earlier people used to go by ship from Bombay.

The original Act was enacted keeping in view the compulsion of sending Hajis by ship from Bombay. Therefore, according to the Act the Haj Committee was constituted of persons from Bombay only. But, now that is not the case. The Haj travel by sea route has been cancelled. Now, all the Hajis are going by air. Moreover, the Haj flights are taking off from different parts of the country. Hence the Committee also needs a wider

representation. Therefore, there is a need for changes which have been brought about in this Bill.

Sir, we are looking to Haj only as a religious purpose. It is not so. As a democratic and secular country, we should look at it from social, political and economic angle also. Haj is a congregation of more than two million people drawn from all parts of the country. Muslims from almost all parts of the world gather there. Therefore, this congretation can be by the countries for projecting its social, political and economic interests also. But, unfortunately, it has remained only a religious issue. That is why I say there is a need for us to look at it from that angle. It is not just passing a legislation for the purpose of constituting a Haj Committee. Here, I would like to state that the Haj Committee can act as a powerful institution. It can even mobilise savings and investments. It is very important for the hon. Minister to note this. Malaysia is a country with a population of about 22 million. And it has a Muslim population of about 1.15 million. But it has organised its affairs of Haj management in such a way that it is not only helping the pilgrims to go from Malaysia to perform Haj in a very orderly manner, but also it has created a habit of saving among those who perform Haj. Today, their institution, which is similar to our Haj Committee, is one of the richest institutions with more than Rs.5000 crores of funds utilised for the overall benefit of the pilgrims as well as the have-nots in the Muslim community. That institution called, Tabung Haji, is similar to our Haj Committee under the Haj Act which we are instituting, with a purpose to provide mobilising savings, gradually investing in economic activities. Having the second largest Muslim population, it is possible for India to mobilise the savings through such an institution. The Malaysian example is a unique example. They are running airlines, they are running banks, they are making profits and subsidising the pilgrims from their own resources which have been generated. I have no time to go into the details of the Malaysian experiment. I would only urge the hon. Minister. This Bill has been introduced now. We welcome it. But still, there is a need for us to better the Haj management by taking cue from the Malaysian experiment.

Coming to the present Haj Committee, there is a lot to be said about the management of the Haj affairs by the present Haj Committee. Sir, it handles almost Rs.400 crores every year of the pilgrims' funds. Parliament is not informed on that. The accounts of the Haj Committee are not placed before Parliament. It is public money. Though it is constituted under an Act of Parliament, none of us knows anything about the balance-

sheet, income or how the resources are being utilised by the present Haj Committee. Of course, now, a provision has been brought in the present Bill that the accounts of the Haj Committee have to be audited and placed before both the Houses of Parliament. As I said, in 1997, the External Affairs Ministry constituted a Committee with Muslim Members of Parliament. I had the honour of serving on that Committee. We brought about some changes. The Draft Bill was given in 1997. Now, it is 2002 and we are looking into the Bill. There should be transparency in the Haj management. The Government of India sends a good-will mission every year. People are sent to perform as a good-will mission. This good-will mission members should be the ambassadors of our country. They should project the various facets of our country before others. They should explain our culture, our secular character and our democratic set up. This is the opportunity, which they should utilise properly for this purpose. But, what has happened to that goodwill mission? It will go. A few people will perform haj at the cost of the Government and they will come back. Sir, this time, I happened to be a member of that goodwill mission. I put a question to the Ambassador; "Why have you come here? Have you come here to perform the haj?" I could have performed the haj myself. I have performed it. It is not obligatory on me. But, I have done it. What is the role I am playing to project my country? What is the direction of the External Affairs Ministry in this respect? Is it simply to go there, perform the haj and come back? Is it the only function of the goodwill mission? Sir, some fifty or odd countries will be there. Our goodwill mission could have interacted with the goodwill missions of other countries. I put a question to the Ambassador: "Why have you not arranged a meeting with the goodwill missions of other countries which have come here so that we could have interacted with them; we could have placed the point of view of our country before them, whether it was on Kashmir or whether it was the secular character of our country?" That has not been done. I would make one request to the Minister. When you send the goodwill mission, you see to it that it should not only be for performing the haj, but should also act as the real goodwill ambassador of the country.

Now, I will come to some of the aspects of the Bill. The role of the Haj Committee, according to me, is confined to India. The object clause says: "To collect and disseminate information useful to pilgrims, arrange orientation training programme for pilgrims, advise and assist during the stay at the embarkment point, vaccination, etc., to give relief to the pilgrims, to finalise the annual Haj plan with the approval of the Central Government and execute the plan, including the arrangement of travel by air or other means

and to advise in the matter relating to accommodation." The major role has to be played not in India, but in Jedah or Mecca or Madina. That role should be performed by our mission. But, nothing has been mentioned in this Bill regarding the sharing of responsibility, and whether the Haj Committee has any role to play outside India, that is, in Mecca, Madina or Jeddah. Sir, in the absence of this provision, there is no mention about the demarcation of duty. There is always a clash between the Mission and the Haj Committee. The Haj Committee says; "it is our role." The Mission says, "it is our role." There is no doubt that this Bill brings forth a lot of changes. But, the role of the Mission should also have come in the Bill itself. Otherwise, there will always be a clash. For instance, arranging accommodation for the piligrims is a major problem. You have to arrange accommodation both at Mecca and Madina, and contract has to be signed. There should be absolute transparency in the matter of selection of accommodation, because millions of rials are being spent for this purpose. So, what is the transparency? There is no mention of this thing in the Bill. Probably, the Minister may think of bringing an amendment to this effect in future. The role of the Mission needs to be explicitly mentioned in the Bill itself.

Sir, earlier, this Committee was totally nominated by the Government. But now, some changes have been brought. Now, you are giving representation to different sections, and you have also brought the State Haj Committee under the statute. It is a good move. You have said that the members of the Committee shall be elected one from each zone, as specified in the Schedule, in the manner as may be prescribed. The number of Muslims has been increased from six to nine through an amendment. Now, we would like know something about these zones. You have said that every zone will have one representative, in the manner as may be prescribed. The zone is classified. The names of States are mentioned--Southern States, Eastern States, Northern States. You have not mentioned how the representative is going to be selected. ...*(Interruptions)*... Sir, this is a very important Bill. पांच मिनट का टाईम दिया जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपके दल के 29 मिनट हैं और आप 16 मिनट बोल चुके हैं । आपके दल के और सदस्य भी बोलने वाले हैं ।

श्री के. रहमान खान : दूसरे जो नहीं बोलेंगे उनका थोड़ा टाईम लेकर मैं समाप्त कर दूंगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जोन के इसके इलैक्टोरेट कौन होंगे, इनको कौन इलैक्ट करेंगे । उसके वोट करने वाले कौन होंगे, इसके क्लैरीफिकेशन की आवश्यकता है ।

सर, एक बात मैं यहां आखिर में कहना चाहता हूं कि हज सबसिडी के बारे में लोगों के दिलों में बहुत कुछ कहा जाता है कि हज सबसिडी क्यों देनी चाहिए । हज सबसिडी 149 करोड़ या इन द प्रीवियस ईयर इट वाज़ 180 करोड़ । यह हज सबसिडी क्या है, यह कब से शुरू हुई । यह हज सबसिडी 1991 से शुरू हुई, जब से सी रूट बंद किया गया, क्योंकि हाजियों को तकलीफ होती थी । उस समय सी रूट चीप होता था । फिर हरेक को एअर से जाने के लिए कहा गया तो उस वक्त जो गरीब हाजी थे उनके लिए जाना मुश्किल था । तब उस वक्त हकूमत ने सबसिडी शुरू की थी । वह सबसिडी चार हजार रुपये थी जबकि फेअर 14 हजार रुपये था, तो 10 हजार रुपये फेअर कलैक्ट किया और चार हजार सबसिडी दी । यह जाते-जाते फेअर आज 31-32 हजार रुपये हो गया है और सबसिडी 20 या 22 हजार प्रति हाजी होती है । अब सवाल यह है कि यह कहां तक ट्रांसपेरेंट है ? I have raised this issue several times in the House. अगर मैं हज कमेटी से नहीं जा रहा हूं तो मैं 20-21 हजार में हज करता हूं । If I am going as an individual, that is the fare I have to pay. If a Haji is going through the Haj Committee, he has to pay Rs.31,000/- मैं जो टिकट खरीदता हूं वह ट्रेवल एजेंट से खरीदता हूं । ट्रेवल एजेंट का कमीशन, दूसरा कमीशन, सब जा कर एक्च्युअली एअरलाइन्ज़ को 17-18 हजार रुपया मिलता है । अब यहां पिलग्रिम को, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सीडाइज्ड कर रही है, 31 हजार देना पड़ता है और 12 हजार रुपया हाजी देता है । The difference is given by the Government. तो यह 180-190 करोड़ से आते-आते और बढ़ेगा । इस पर मेरा सवाल यह है कि यहां ग्रॉस सब्सीडाइजेशन हो रहा है एअर इंडिया के लिए, क्योंकि मैं यह सवाल एक वक्त नहीं, तीन-चार वक्त इस हाउस में उठा चुका हूं और इसका आज तक मुझे हकूमत से कोई सही जवाब नहीं मिला है । मैंने यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, क्योंकि जब यह फ्लाइट्स चॉर्टर करते थे तो Air India used to take Rs.8,000/- as handling charges. The total amount is Rs. 40 crores. They used to charge it for two months' work. Because there is a time-constraint, I would not go into the details. I have a suggestion to make. The Government is giving Rs. 180/- or Rs. 190/-. It may be Rs. 200/-. It is an emotional issue. I have suggested it earlier also because it is a permanent affair. It is not going to end in two years three years, four years or five years. There should be a permanent arrangement for carrying the pilgrims. Our national carriages will not be able to meet the demand. That is why I suggest to the Government of India to establish a Haj Transport Corporation. I have suggested setting up of a Haj Transport Corporation. Whatever subsidy that you are giving for the next three years, you give it in a lumpsum, say, Rs. 500 crores, to the Corporation, as share capital. The Muslims of this country will be able to contribute another Rs. 500 crores as share capital. You can have a total corpus of Rs. 1,000 crores as share capital in the Haj Transport Corporation. Malaysia has done it. They have collected Rs. 5,000 crores through shares. I have a receipt showing "Haj Management of Malaysia". All over the world, their experiment is being copied. When they have done it, why can't the second largest Muslim

country in the world do it? You buy some aircraft; take the people during the Haj season. It is not that the people are going during the Haj season alone. They go throughout the year. An equal number of people go during Umrah and the non-Haj season also. If you send 1 lakh or 1.5 lakh people during the Haj season, during the non-Haj season also, an equal number of people go. Nearly three lakh pilgrims go from the country every year. You can buy four or five aircraft, by using the money from this corpus. You can operate it for Haj; and, for the rest of the season, Air India can take them on lease, instead of taking the aircraft on lease from others. I have made this suggestion earlier also. I appeal to the Government to give a serious consideration to this proposal so that the subsidy can also be eliminated. You can have your own aircraft and you can have, probably, a permanent arrangement, instead of chartering the aircraft and then asking Saudi Arabia to arrange the aircraft or some other country to arrange the aircraft. This could be avoided, and a permanent arrangement could be in place. With these few words, I welcome and support this Bill. Thank you.

श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय विदेश मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हज समिति विधेयक, 2002 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मैं उस जनपद से आता हूं जहां पर कभी सरकी सल्तनत हुआ करती थी । उस के पहले इसे जमदग्नपुरी कहा जाता था । सरकी वंशज के राजकाल में इस का नाम यवनपुर रखा गया और अंग्रेजों के समय में इसे जौनपुर के नाम से जाना गया था । मान्यवर, उस समय जौनपुर पूरे भारत की राजधानी हुआ करती थी । इस से यह एहसास लगाया जा सकता है कि हमारे जनपद जौनपुर में मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या कितनी है । मान्यवर, वैसे तो मैं गांव का रहने वाला हूं और हमारे गांव में मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या अधिक है । हम लोगों का आपस में बड़ा मेलजोल रहता है । हमारे धर्म के आधार पर अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति को हम मिली-जुली संस्कृति कहते हैं । इस में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की मान्यता जिस तरह से कुम्भ मेले में है, गंगासागर में है और बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा रामेश्वरम् में है, जिस तरह से हमारे सिख भाइयों की मान्यता गुरु ग्रंथ साहिब और स्वर्ण मंदिर में है, उसी तरह से मुसलमान भाइयों की अपनी आस्था हज में निहित है और मेरे ख्याल से हज यात्रा करने का मकसद उन के लिए अपनी आत्मा को शांति देने का होता है और अपने को मोहम्मद साहब से जोड़ने का होता है ।

मान्यवर, जहां तक मेरी मान्यता है, हज जाने की व्यवस्था कब से हुई, इस का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पहले जब यहां मुसलमान नहीं थे या इस समुदाय के लोग नहीं थे, तो वहां जाने का सवाल ही नहीं था । लेकिन जब से यहां आए होंगे, इनकी आस्था और लगाव वहां से रहा होगा और तबसे कोई व्यवस्था इनके लिए हुई होगी । चूंकि इसका बहुत ज्यादा इतिहास तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम इतना मानते हैं कि उनके जाने की कोई व्यवस्था रही होगी । पहले यह लोग पैदल गए होंगे, फिर सड़क मार्ग से गए होंगे, फिर समुद्री मार्ग से गए होंगे । हमारे यहां बाराबंकी जनपद में एक देवाशरीफ बाबा हैं, जिनकी बहुत मान्यता है । उनके दर्शन को यहां मुसलमान भाई जाते हैं, तो उससे ज्यादा हिन्दू लोग भी जाते हैं ।

उनके बारे में लोग कहते हैं कि यह पैदल ही वहां गए थे । देवाशरीफ बाबा बाराबंकी से लखनऊ होते हुए, दिल्ली होते हुए हज यात्रा करने पैदल गए थे, ऐसा कहा जाता है । यह एक आस्था है और आस्था के साथ जुड़कर लोग कहीं भी जा पहुंचते हैं । हज यात्रा से संबंधित जो एक्ट हमारे यहां मिलता है वह वर्ष 1932 से मिलता है, जिसका इस बिल में जिक्र किया गया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो हज समिति विधेयक, 2000 प्रस्तुत है, इस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । जहां तक मेरी जानकारी है, 15 अगस्त, 1947 के पूर्व हमारे यहां जितने मुस्लिम भाई-बहन थे, उसमें से विभाजन के समय 5 करोड़ लोग पाकिस्तान में चले गए थे और 2 करोड़ 65 लाख लोग हमारे देश में रह गए थे । भारत देश में जो संविधान बनाया गया, उसमें उनकी आस्था का ध्यान रखा गया । हमारे संविधान में जिस तरह से हिन्दू भाइयों की आस्था, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा गया, उसी तरह मुसलमान भाइयों का भी ध्यान रखा गया कि उनकी धार्मिक आस्था और भावना को कोई ठेस न पहुंचे, उसको ध्यान में रखकर संविधान में प्रावधान किया गया । इसी तरह सिख भाइयों के लिए, ईसाई भाई जो हमारे देश में रह गए थे, सबकी भावना का ध्यान रखा गया और समतुल्य भाव से, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए प्रावधान किया गया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा, हिन्दू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं जिस तरह श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह मुसलमान भाइयों की भावना हज यात्रा से जुड़ी हुई है । इनके लिए जो हज कमेटीज एक्ट, 1932 के माध्यम से व्यवस्था की गई थी, उसमें वर्ष 1959 में सुधार किया गया और यह व्यवस्था की गई कि हज यात्रियों का चयन हो, मुम्बई से जेद्दाह तक उनकी यात्रा सुरक्षित हो । इस अधिनियम के द्वारा एक केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो भारतीय केन्द्रों से जेद्दाह तक की समुद्री यात्रा, हवाई यात्रा की व्यवस्था करता था । वर्ष 1984 से भारतीय महोकौसलावास की व्यवस्था की गई, जो हज प्रबंध के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है । वर्ष 1960 के दशक के मध्य तक भारतीय हज यात्री मुम्बई बंदरगाह से जेद्दाह तक समुद्री यात्रा किया करते थे । इसके बाद हवाई यात्रा प्रारंभ हुई और धीरे-धीरे वर्ष 1995 से जल यात्रा पूर्णतया बंद हो गई, चार्टर्ड हवाई जहाजों से हज यात्रा प्रारंभ हो गई । वर्ष 1999 के दौरान ये उड़ानें मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और बंगलौर से हुआ करती थी, इसमें अब दो केन्द्र और जोड़ दिए गए हैं कोचीन और अहमदाबाद । इस तरह से अब सात केन्द्रों से हज यात्रियों के लिए हवाई यात्रा सुविधा होने लगी हैं । मान्यवर, हज जाने की व्यवस्था के लिए 1981 तक आवेदन-पत्र हज समिति मुम्बई को भेजे जाते थे और उनका चयन लॉटरी द्वारा किया जाता था । इस व्यवस्था को कुर्राह कहा जाता था । इसके बाद धीरे-धीरे यह व्यवस्था राज्य हज कमेटी को दी गई। कुर्राह के अंतर्गत पोतारोहण के पूर्व की सारी व्यवस्था करना, पोतारोहण केन्द्रों तक परिवहन, कैम्पों और दवाओं की व्यवस्था करना आदि आता था । वर्ष 2000 से तीर्थ यात्रियों के प्रशिक्षण तथा अभिसंस्करण का भी दायित्व इन्हें दिया गया था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप तो इसका समर्थन कर रहे है न ।

श्री श्याम लाल : जी, समर्थन कर रहा हूं, उसी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं । अधिनियम, 1959 ज्यादा पुराना हो गया है इसलिए नई व्यवस्था के अनुकूल तथा समय के अनुसार एक नया अधिनियम प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी, जो हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है ।

मान्यवर, हज यात्रियों की संख्या 1992 में 24,000 थी, 2000 में यह संख्या बढ़कर 72,000 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 1,18,759 हो गई । अब जब हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, 1947 में 2,65,000 के करीब हमारे यहां मुस्लिम भाई थे, यह संख्या जिस अनुपात में बढ़ी है, उसी अनुपात में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होना अवश्यमभावी है । जब यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो हमारी सरकार द्वारा जो यह अधिनियम लाया गया है, वह एक सामयिक अधिनियम है । हमारे माननीय साथी अभी बोल रहे थे, उन्होंने किराए में अनुदान के बारे में बात की । मैं बताना चाहता हूं कि 1999 में यह अनुदान 98.46 करोड़ था, वर्ष 2000 में 118.83 करोड़ था, जो 2001 में बढ़कर 148.36 करोड़ हो गया । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हज यात्री जाते हैं तो जहाजों और एयरोड्रम्स पर दवा की व्यवस्था करनी पड़ती है, दवा की व्यवस्था होती है तो डाक्टरों और नर्सों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है और उनके आवागमन पर जो व्यय होता है वह भी इसके साथ जुड़ता है । तो हज यात्रियों के लिए यह सारी व्यवस्था की जाती है और ये सारे खर्चे किए जा रहे हैं । हमारी सरकार की यह मंशा है कि हमारे देश में जो भी भाई हैं, उनको उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुकूल अपने देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना या जिसे भी वे अपना पैगम्बर मानते हैं, उनमें उनकी आस्था बनाए रखने के लिए जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते हैं, वह उन्हें दें ।

मान्यवर, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि इस भारत-भूमि में जितने भी लोग हैं, उनको सहिष्णुता प्रदान करने के लिए हमारी सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। हमारी एक कविता है, मुझे वह पूरी तो याद नहीं है, लेकिन मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूं । हमारे देश में हम हिन्दू-मुसलमान की भावना से उत्प्रेरित नहीं रहे हैं, 'वसुधेव कुटुम्बकम' का हमारा नारा रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक बात कही है, उसे मैं यहां कहना चाहता हूं कि :-

अलग राम-रहमान कहे, ऐसा भगवान नहीं कोई

मानव-मानव में भेद करे, ऐसा धर्म नहीं कोई,

धर्म एक मूल तत्व है, इसे नहीं बांटे कोई ।

श्री राजू परमार (गुजरात): यह गुजरात में जाकर बोलिए ।

श्री श्याम लाल : उसका जवाब हमसे मत लीजिए । उसका जवाब हम अच्छी तरह दे सकते हैं। हम जो कह रहे हैं, उसे सुनिए, फिर आप जो कहेंगे, उसे हम सुनेंगे । इस तरह भावनाओं को भड़काना छोड़ दीजिए और देश चलाइए । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : श्री लाल जन बाशा एस.एम., आप बोलिए । शायद यह आपकी मेडन स्पीच है ।

श्री एस.एम. लाल जन बाशा (आंध्र प्रदेश) : जी हां । उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि अपनी पहली स्पीच के रूप में मुझे इस हज बिल पर बोलने का मौका मिला है । मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि इस बिल से मेरी शुरुआत हो रही है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बिल देखा है । यह बहुत ही अच्छा बिल बनाया गया है । इस बिल के क्लाज़

(4) में कंपोजीशन ऑफ कमेटीज़ के बारे में मेरा यह सुझाव है कि हिंदुस्तान की एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाईस-चांसलर को इसमें एक्स-ऑफिशियो मेंबर रखना चाहिए । इसके साथ ही जो देवबंद दारुल-उलुम मदरसे के बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको भी एक्स-ऑफिशियो मेंबर रखना चाहिए । इसी तरह क्लाज़ (16) में चीफ-ऐक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ऐंड अदर इम्प्लॉयीज़ का एक क्लाज़ है । महोदय, मैं भी दो बार वहां जा चुका हूं । एक बार एक गवर्नमेंट डेलीगेशन में मुझे जाने का मौका मिला था और दूसरी बार सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर के रूप में मुझे वहां जाने का मौका मिला था । मेरा तजुर्बा यह है कि वहां के डिप्लोमेट अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मेरा सुझाव यह है कि हमें यहां अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है क्योंकि हरेक साल हिंदुस्तान से करीब एक लाख से ऊपर हाजी वहां जा रहे हैं । इसलिए उनका अवाम के साथ अच्छा संपर्क होना जरूरी है । चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या जिला कलक्टर हो, ऐडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए उसे कम से कम 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए क्योंकि वह एक लाख आदमियों को यहां से 2 महीने में वहां भेजने और वापस लाने का काम करेंगे ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े बुजुर्ग श्री जसवंत सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं । क्योंकि हमारे आंध्र प्रदेश से उमरा के लिए जाने के लिए एक हजार लोगों ने कोशिश की थी। इसके बारे में जब हम आफिसर के पास गए तो उन्होंने बताया कि यह नामुमकिन है तथा यह नहीं हो सकेगा। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उमरा के लिए वीजा देने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि यह कोई नौकरी के लिए वीजा नहीं है और अगर कोई उमरा के लिए अपना पैसा खर्च करके जा रहा है, तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि आप कोशिश तो करो। उन्होंने ऐसे ही रिफ्यूज कर दिया कि यह नामुमकिन है। तो हम लोग इस बारे में जसवंत सिंह जी से मिले। खाली उनके एक फोन से हमारे वीजों का बंदोबस्त हो गया। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के लोगों को उमरा करने के लिए एक रास्ता खुल गया है। लेकिन जिस आदमी ने हम लोगों को मना किया था वह आज रियाद में एम्बेस्डर बनकर बैठा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिसको जिम्मेदारी लेनी है वह नहीं ले रहा है तो ऐसे आदमी को डेप्यूटेशन पर भेजेंगे तो वहां के लोगों से डील करने में वह अच्छा साबित नहीं होगा। तो यह मेरा सुझाव भी है।

क्लाज-29 में भी है कि स्टेट में जो हज कमेटी होती है तो जोइंट सैक्रेटरी, अंडर सैक्रेटरी के बजाय डिप्टी सैक्रेटरी रैंक का होने से कुछ फायदा होगा। क्लाज-34 में एकाउंट एंड आडिट के बारे में है। इसमें एक बहुत बड़ा रैकिट काम कर रहा है। हम इस बारे में पहले भी आपको पर्सनली कम्पलेंट दे चुके हैं। मेरा यह सुझाव है कि आपकी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है तो उसके ऊपर विजिलेंस चैक भी होना जरूरी है। एक स्पेशल विजिलेंस आफिसर को इसमें डेप्यूट करें। इस पूरे बिल को मैंने देखा है, इसमें आडिट का कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर इस बारे में विजिलेंस कमिश्नर को कम्पलेंट करेंगे तो इस पर एक्शन भी होना है तथा डर भी रहेगा। क्योंकि यह इसलिए भी जरूरी है कि वहां इतना बड़ा रैकिट है जिसमें करोड़ों रुपए का घपला है तथा हाजियों को लूटने का काम हमने देखा है। इस बारें में पर्सनली भी मैंने लैटर दिया है। आप इसको भी देखेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। पिलिग्रिम के लिए जितने भी पासपोर्ट का इंतजाम हो रहा है वह सेंट्रल हज कमेटी से हो रहा है। हिन्दुस्तान से जितने लोग जा रहे हैं हाजी जो सेंट्रल हज से जाए या प्राइवेट से भी

जाए, तो उनको हज का एक पास दे देने से बहुत ही अच्छा होगा। पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हुआ है, वह केवल वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट करके हो गया और इस वजह से हैदराबाद से पहली फलाइट उड़ाने का काम हुआ है। आज हज कमेटी स्टेट की है। चन्द्रबाबू नायडु की सिदारत में जो हुकूमत है वहां आज हिन्दुस्तान में एक वाहेद हज हाऊस हम लोगों ने बनाया है। ऐसा ही हाऊस हर स्टेट में बनेगा तो अच्छा होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि हुकूमत जो बिल लेकर आई है, इसमें उसकी अच्छी नीयत है। इसके साथ-साथ मैं लेफ्ट और राइट में बैठे हुए साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं पेपर्स में पढ़ रहा हूं जिनमें लिखा है कि हज़ पर जाने वाले लोगों को सबसिडी क्यों दी जा रही है? यह सबसिडी सबको दी जानी चाहिए। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। मुसलमानों को सिर्फ दस साल से सबसिडी दी जा रही है जो सबसिडी दी जा रही है वह 150 करोड़ के अंदर ही दी जा रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड से सऊदी अरब में लोग आयेंगे, पूरे मुल्कों के सभी लोगों को हम बतायेंगे कि हिन्दुस्तान हमारा देश हज़ पर आने वाले यात्रियों को सबसिडी दे रहा है। मुस्लिम कंट्रीज में और शायद पाकिस्तान में भी हज़ पर जाने वाले यात्रियों को सबसिडी नहीं दी जा रही है। आज हिन्दुस्तान में, हमारी हुकूमत मुसलमानों को सबसिडी देकर के हज़ पर भेज रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट में जो सबसिडी दी जाती थी, उसको यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने बढ़ाया और अब एनडीए की सरकार है, इससे हमारी यह चाहत है कि यह हज़ यात्रियों को और ज्यादा सबसिडी प्रदान करे। आन्ध्र प्रदेश में तिरूपति पिलिग्रिम जाते रहते हैं, उन पर हमारी आन्ध्र प्रदेश की हुकूमत 400 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि कुम्भ मेला में भी सरकार पैसा खर्च करे। यह अच्छा है कि पिलिग्रिम पर खर्चा किया जाय। हमारे देश के लोग जितना ज्यादा पूजा-पाठ करेंगे, उससे सभी सुधरेंगे। अच्छा है लोग पूजा-पाठ में जायेंगे, तो वे अच्छे रास्ते पर जायेंगे। क्योंकि जो आदमी पूजा-पाठ में व्यस्त रहेगा, वह गलत काम से दूर हो जायेगा। वह चाहे मंदिर में जाये, चाहे मस्जिद में जाये, चाहे चर्च में जाये, चाहे गुरूद्वारे में जाये या चाहे कहीं भी जाये। उसको वहां जाने का एक अच्छा रास्ता हुकूमत से हो जायेगा, तो यह अच्छा है। इस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि मुसलमानों को सबसिडी दी जा रही है। मैं आज फख्र से बोल रहा हूं कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों को हज यात्रा के लिए जो सबसिडी दी जा रही है, वह किसी और मुल्क में नहीं दी जा रही है। यहां से जितने भी मुसलमान वहां पर जा रहे हैं, वे वहां पर जाकर कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि डेढ़ सौ करोड़ रुपये में हिन्दुस्तान का मुसलमान वहां पर जाकर अपने देश की हुकूमत का जो एडवरटाइजमेंट इतने मुल्कों में कर रहा है उतना एडवरटाइजमेंट तो आप एक करोड़ रुपया खर्च करके भी नहीं कर सकते हैं। अगर यह सबसिडी डेढ़ सौ करोड़ से बढ़ाकर तीन सौ करोड़ रुपये भी देनी पड़े तो हमारी हुकूमत को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके लिए जो भी काम करना जरूरी है, वह किया जाना चाहिए। आज हम लोगों के पास सर्वधर्म, म्युचल रेसपेक्ट करने का टाइम है। आज हम लोग यहां पर बिल पास करने के लिए बैठे हैं और जितने भी सुझाव हम लोगों ने दिए हैं, मेनली इसका आडिट होना है, आडिट के लिए स्पेशली विजीलेंस कमिश्नर एक रखना है और आईएएस अफसर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, कलेक्टर करेगा तो वह अवाम से टच में रहेगा। आप वहां पर डिप्लोमेट्स को बैठा देते हैं, क्योंकि मैंने एक मिसाल भी आपको इसीलिए दी है, आपके केवल एक फोन से वहां पर हैदराबाद से जाने का काम हुआ है। हम लोगों ने वहां जाकर बहुत रिक्वेस्ट की, पूरे एमपीज़ ने उनको रिक्वेस्ट की, लेकिन

नहीं हुआ। फिर आपके पास आये, वह इंटरेस्ट भी होना है। वहां पर वह एम्बेसेडर बनकर बैठेंगे, वे लोग वहां पर डिप्लोमेसी की बात करेंगे। एक लाख आदमी का दो महीने के अंदर वहां पर जाना और वहां से वापस आना, इसका इंतजाम करने के लिए ऐसे आफीसर्स को लगाना चाहिए, जिसमें ऐसा कार्य करने का जज्बा हो और पर्टीकुलरली यहां जो हमारी हुकूमत है, एनडीए की सरकार है, इसको देखना है कि आने वाले दिनों में हज़ यात्रियों को कैसे बेटर सर्विस दे सकते हैं। हम लोग हज़ यात्रा में कैसे हर साल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक रूटीन प्रोग्राम बनाना चाहिए। उसमें जो भी हाजी वहां जाएगा, उससे हमारे हिन्दुस्तान में बेहतरीन माहौल बनेगा । जो हज के लिए जाएगा, उसमें जो भी खामियां हैं, वह पूरी वहां छोड़कर एक अच्छा इंसान बनकर आएगा । एक अच्छा माहौल बनाने के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो पिलग्रिम्स तिरुपति जाते हैं, वहां पर आंध्र प्रदेश में हम लोगों की हुकूमत चार सौ करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है । मैं यही कहना चाहता हूं कि कुल 20 करोड़ मुसलमान हैं। हम लोगों को अपर क्लास की स्टैप दे दी गयी है । हम लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है - बी.सीज़ के लिए रिजर्वेशन है, शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन है, सबके लिए रिजर्वेशन है लेकिन मुसलमानों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है।

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): आप लोगों के लिए तो मैगा रिजर्वेशन है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : संजय जी, जब आपको समय मिलेगा, तब बोलिएगा।..**(व्यवधान)**..

श्री संजय निरुपम : आप लोगों के लिए तो मैगा रिजर्वेशन है । इससे बड़ा रिजर्वेशन क्या चाहिए ? ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एम. लाल जन बाशा: आपको बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा दिल रखकर यहां बैठना चाहिए । हमारे अहलुवालिया जी यहां बैठे हैं, वे बड़े खुश हो रहे हैं । इसलिए मैंने कहा कि लैफ्ट में और राइट में जो भी हमारे साथी हैं, सब लोगों को मिलकर अच्छा माहौल बनाना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि मुसलमानों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है । हम लोग हज के लिए कह रहे हैं और इस संबंध में जब भी मैं अखबार देखता हूं तो उसमें पढ़ता हूं कि उनको हज सब्सिडी क्यों दी जाएगी, हज सब्सिडी नहीं देनी चाहिए या हमें भी सब्सिडी मिलनी चाहिए । किसने मना किया है ? हमने तो मना नहीं किया । सबको दो, जितना भी देना है दो । जब हम लोग ढाई लाख करोड़ रुपए सालाना बजट पर खर्च करते हैं तो उसमें दस हजार करोड़ रुपया मजहब पर खर्चा करने में ऐतराज नहीं होना चाहिए । इसमें आप जो खर्च करेंगे, उससे एक अच्छा माहौल बनेगा क्योंकि जो भी पूजा-पाठ करेगा, वह एक अच्छा इंसान बनेगा । इसीलिए जितने भी धर्म के लोग यहां बैठे हैं, हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि आप मंदिर जाओ, पूजा करो, अपने लिए करो और लोगों के लिए भी करो । ऐसे ही मस्जिद में करेंगे और जो चर्च में जाएंगे, वे भी करेंगे । यह अमन से रहने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करेगा । इसलिए यह जो बिल आप लाए हैं, इससे एक अच्छा माहौल बनेगा । जसवंत सिंह जी ने जो हम लोगों की मदद की है - क्योंकि आज वह बताना जरूरी था, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा था - खाली आपके एक फोन से हमारा वहां पर काम हुआ । वाजपेयी जी के कहने से पचास साल में जो हमारी फ्लाइट नहीं शुरू हुई थी, वह शुरु हुई । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के

कार्यकाल से या यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकाल से एन.डी.ए. गवर्नमेंट के कार्यकाल में ज्यादा सब्सिडी देने का काम हुआ है । इसके अतिरिक्त जो कमेटी बनायी गयी है, पर्टिकुलरली इस सैंट्रल हज कमेटी के पास पॉवर्स भी होनी चाहिए क्योंकि स्टेट्स में पूरा प्रबंध देखने का काम सैंट्रल हज कमेटी करेगी। इस बिल में सैंट्रल हज कमेटी का रोल बहुत कम हो गया है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का हाथ है । इसलिए सैंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी में कोऑर्डीनेशन होना चाहिए क्योंकि हाजियों को जोड़ने का काम स्टेट हज कमेटी का है । वहां से उनको ले जाकर फ्लाइट चढ़ाने तक इनका काम है, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है और उसके बाद सऊदी में जाने और वहां से वापिस आने तक सैंट्रल हज कमेटी के लोगों को उसमें इनवॉल्व करें । वहां जो डिप्लोमेसी है उन्हें तथा आई.ए.एस. ऑफिसर्स को भी इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए दो महीने के लिए स्पैशली लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और हमारे देश का नाम होगा। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा क्योंकि हमारे जितने भी लोग वहां जा रहे हैं - वहां उन्हें पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे - वे सबको बताएंगे कि हिन्दुस्तान में हम लोगों को...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : बाशा जी, ये सारी बातें आप पहले कह चुके हैं ।

श्री एस.एम. लाल जन बाशा: हिन्दुस्तान में हम लोगों को इतना अच्छा माहौल मिल रहा है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : सारी अच्छी बातें आप पहले कह चुके हैं । इसलिए अभी समाप्त कीजिए ।

श्री एस.एम. लाल जन बाशा: इसलिए हम लोग एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि यह हज का मामला है इसलिए इस संबंध में आप बड़ा दिल रखिए और हम लोगों की मदद कीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : ठीक बात है, सारी बातें कहिए लेकिन दो-दो बार नहीं कहिए ।

श्री एस.एम. लाल जन बाशा: इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और गुजारिश करता हूं कि इस बिल को मॉडीफाई करके इसे पास करें ।

SHRI SK. KHABIR UDDIN AHMED (West Bengal): Mr. Vice Chairman, Sir, thank you very much for having given me this opportunity to participate in the discussion on the Haj Committee Bill, 2000. Sir, as a Member of this House from West Bengal, this is my maiden speech. I seek your cooperation.

5.00 P.M.

I would request the Government to enlighten me about the rules and regulations proposed in the Bill. I would like to know whether action has already been taken, in line with the Act, in every State Haj Committee, in consultation with the Central Government? While supporting the Haj Committee Bill, 2000, I would like to raise the following points for your consideration.

Firstly, the number of Indian pilgrims has increased, from about 24,000 in the year 1992 to 72,000 in the year 2000. In this connection, I would like to point out that though the number of pilgrims is increasing, but their facilities and benefits are reducing.

Secondly, the air fare for the Haj pilgrims is subsidised. The subsidy for Haj 2000 was Rs. 137 crores. It is the same since 1992. The subsidy given earlier by the Government could not meet their needs fully. Now, even that is being reduced in a phased manner. So, they are not able to meet their needs.

My third point is regarding the issuance of passport, visa and foreign currency. It is centralised at Delhi and Mumbai. Earlier, the Haj pilgrims demanded decentralisation of the system so that they do not suffer, they are not put trouble, and could avail of this facility from their home State. If it is decentralised, they can easily meet their requirements from their home States instead of rushing to Delhi or Mumbai. Therefore, I urge upon the Government to consider decentralisation of the prevalent system.

The Haj pilgrims are facing the following difficulties. First, accommodation facilities at Jeddah are not comfortable. Second, the Government of India deputes 400 officials to Saudi Arabia for two-three months during the Haj season, including a 250-member Medical Mission for rendering general and medical assistance to Indian pilgrims. But this can hardly meet the requirements of the Haj pilgrims. In this connection, Sir, I would like to remind you about the fire incident during the last Haj. Some of the Indian pilgrims sustained burns and some died. But, it is a matter of regret that proper attention has not been paid to that. Third, the number of pilgrims travelling by air or chartered flights is gradually increasing. The embarkation points are not sufficient for the pilgrims. The number of

embarkation points has to be increased. Fourth, the *aab-e-zam zam,* that is, the sacred water, is not allowed to be carried in the same flight. This sacred water is carried in another flight, which creates discontent among the pilgrims. Sometimes, the pilgrims do not even get their sacred water. This aspect may also please be looked into by the Government. Lastly, Sir, may I request that one Haj office may be opened in every State headquarters, and necessary finances may kindly be provided by the Centre for this purpose. With these words, I conclude, Sir. Thank you very much.

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिम बंगाल) : मेडेन स्पीच है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : लेकिन आपका मेडेन हो गया है ।

†**मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी** (मध्य प्रदेश) : शुक्रिया सदर-ए-मोहतरम, मैं हज कमेटी बिल, 2002, जो पार्लियामेंट में पास कराने के लिए सरकार लाई है, यह 2002 में 2000 का बिल है, इसे देखने के बाद कुछ अजीब-सा महसूस होता है । हमने तो यह समझा था कि जरूरतों को देखते हुए यह सरकार इस बिल में उन तमाम खामियों को दूर कर देगी जो खामियां इससे पहले हज करने वालों की परेशानियों का सबब बनी थीं ..**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : एक मिनट मौलाना साहब I think I should take the sense of the House now. Although it was decided in the Business Advisory Committee that we will sit up to 6 o'clock everyday, but still, we can have the sense of the House. We will dispose of this Bill and we will sit till today's listed business is finished.

†**मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी** : वाइस चेयरमैन सर, हज एक इंटरनेशनल इस्लामी फरीज़ा है जिसके तहत पूरी दुनिया से लोग हज की सआदत हासिल करने के लिए मक्का मुअज्मा और मदीना मुन्नवरा पहुंचते हैं । दुनिया के हर मुल्क ने अपने हाजियों की सहूलियतों के पेशे नज़र अपने मुल्कों में उनकी बेहतरीन खिदमात का इंतजाम कर रखा है । हमारे मुल्क की भी यह खुशकिस्मती है कि हमारा मुल्क सेक्युलर होने की बुनियाद पर, धर्मनिरपेक्षता की रोशनी में हज के सारे फ़रायज़ को अदा करवाने के लिए, मुसलमानों को मक्का मुअज्मा और मदीना मुन्नवरा भेजना अपनी सआदत समझता है । कुछ खास बातें, जो इस बिल में रह गई हैं उनकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं और वजीरे मोसूफ से गुजारिश करूंगा कि बरा-ए-करम आप उसे नोट करें । हमारे मुल्क में हज के बाद हर साल हज कांफ्रेंस होती है जिसमें हज के लेखा-जोखा को अवाम के सामने पेश किया जाता है । हाजियों की शिकायतें हर साल अमुमी तौर पर आती हैं । मकान के सिलसिले में, वहां रहने-सहने के सिलसिले में, हवाई जहाज के सिलसिले में, अरकान अदा करने के सिलसिले में, अफसरों के व्यवहार के सिलसिले में और हिन्दुस्तान भर में यह प्रोपेगेंडा होता है कि हज कमेटी हाजियों को हज करवाने में नाकाम रही है । हज कमेटी

---

†Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती है, हज कमेटी दोषी है, हज कमेटी मुजरिम है । इस बिल की रोशनी में जब हम हज कमेटी के दायरे अख्तियार को देखते हैं तो हमें मायूसी होती है और हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर हज कमेटी को बदनाम क्यों किया जाता है ? इसलिए कि हज कमेटी को हज करवाने का या मक्का मुअज्जमा या मदीना मुनव्वरा में हाजियों के साथ रहने का या हाजियों के फरायज अंजाम दिलवाने का इस बिल में कोई अख्तियार नहीं दिया गया है। हज कमेटी के सिलसिले में इस बिल में जो कुछ भी कहा गया है, वह इससे ज्यादा नहीं है कि हज कमेटी को सारा काम हिंदुस्तान में करने की हिदायत दी गयी है। हज कमेटी का क्या काम है? पिलिग्रिम पास बनवाना, हाजियों का पैसा यहां से सउदी अरब हमारी एम्बैसी को भेज देना और हाजियों को हवाई जहाज पर ले जाकर रुखसत कर देना। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही हज कमेटी का काम है, बाकी सारा काम सरकार करेगी, बाकी सारा काम सरकार के अफसरान करेंगे तो यह हज कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। इतना काम अगर सरकार और भी अपने जिम्मे ले ले तो क्या हर्ज है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हज कमेटी बनानी है, हाजियों का काम एक खुद-मुख्तार और आटोनामी बाडी के जरिए करवाना है तो हज कमेटी को पूरा-पूरा अख्तियार मिलना चाहिए, हज कमेटी को एक बाजी-च-अतफाल बनाकर, एक खिलौना बनाकर इस बिल के जरिए सरकार को अपने अख्तियार का शिकंजा नहीं कसना चाहिए। आप सभी लोगों को यह मालूम है कि वहां मकानों की खरीदी में करोड़हा-करोड़ रियाल का आदान-प्रदान होता है। मकान हाजियों के लिए कौन लोग खरीदते हैं? हज कमेटी के लोगों को उसमें कहीं शरीक नहीं किया जाता है। हज कमेटी मक्का मुअज्जमा या मदीना मुनव्वरा में एक आफिस भी नहीं खोल सकती है। आप हज कमेटी को इसकी भी इजाजत नहीं देते तो मेरा सवाल यह है कि आखिर हज कमेटी आप बना क्यों रहे हैं। हज कमेटी की आपको क्या जरूरत पड़ गयी? सरकार जिस तरह से हाजियों को सिर्फ हवाई जहाज तक भेजने के लिए हज कमेटी को काम देना चाहती है, इसके अलावा हज कमेटी का कोई काम, कोई रोल, बिल में कहीं मौजूद नहीं है तो फिर यह हज कमेटी बनाने की बात आखिर क्यों की जा रही है और हज कमेटी के नाम पर बिल लाकर सरकार सारा अख्तियार अपने हाथ में लेने का काम क्यों कर रही है? इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आपको हज कमेटी बनानी है तो हज कमेटी को पूरी का पूरी पावर मिलनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान में वह आपरेशन करेगी उसी तरह से सउदी अरेबिया में पूरा का पूरा आपरेशन करने का हक उसे मिलना चाहिए वरना मैं समझता हूं कि यह पुरानी शराब नयी बोतल में लाकर आप न हाजियों का कोई फायदा करेंगे और न हज्जाज की मुसीबतों को दूर करेंगे। लगता है कि आप हाजियों की मुसीबतें दूर करना नहीं चाहते हैं, जब-जब मक्का में मदीना में हाजी चाहे हास्पिटल जा रहा हो, चाहे बीमार पड़ा हो चाहे उसकी और परेशानियां हों, अगर हज कमेटी के कोई अरकान जो हज पर गए होते हैं अपने हाजियों की खिदमत करने के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो आपके जेद्दा में हज काउंसलेट के लोग, आपके सउदी अरेबिया में इंडियन एम्बैसी के लोग अपनी मोनोपोली चलाते हुए उनको झिड़क देते हैं और उनसे कह देते हैं कि तुम्हें यहां कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यहां मदाखलत का कोई हक नहीं देते हैं। जब हज कमेटी को मक्का मुअज्जम और मदीना मुनव्वरा में हज मिशन के नाम पर एक आफिस खोलने की इजाजत नहीं दी जाती तो आखिर ऐसी हज कमेटी बनाने से क्या फायदा। मेरी गुजारिश होगी कि हज कमेटी बनानी है तो हज कमेटी के साथ खिलवाड़ न किया जाए, बाकायदा एक खुद-मुख्तार कमेटी, हज कमेटी का इदारा बनाया जाए, जो इदारा अपने ढंग से सुचारु ढंग से इसको चलाए और सरकार के सामने जवाबदेह हो। शुक्रिया।

SHRI S.P.M. SYED KHAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, and my colleagues, first of all, let me thank our dynamic leader, Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi, who has nominated me as a Member of this House. With her blessings, I commence my maiden speech. First, I welcome the Bill, and support the Bill also. I want to say something about pilgrimage. India is a secular country, which is home to more than 130 million Muslims. Indian Muslims constitute the second largest Muslim community in the world. The Haj is incumbent upon all adult Muslims of sound mind with the necessary physical capacity and financial capability. Successive Indian Governments have extended assistance to the Indian Muslims to perform the Haj. It indicates a commitment of the Government to provide all the facilities to enable the Indian Muslims to fulfil their religious obligations smoothly. In this connection, I would like to express my gratitude to the Ministry of State for External Affairs for showing interest in the welfare of Haj pilgrims and enhancing the quota from 65,000 to 72,000 to accommodate all applicants from India during Haj-2002. I earnestly hope that with the help of Government of India we would enjoy the same facility in the coming Haj-2003 season as well.

The quota for Haj-2002, for Indian pilgrims proceeding for Haj, through State Haj Committees, was fixed at 72,000. This was distributed to each State based on its Muslim population. But in some States, the number of applications received is much more than the quota allocated to them, while some other States have not utilised the quota fully. Hence, I strongly urge the Government of India to allocate the quota based on the average number of pilgrims who performed Haj, in the last five years, from each State, instead of fixing quota based on population and reallocating every year based on lesser applications received from other States.

Sir, the State Hajj Committees are deputing about one or two representatives to Saudi Arabia for selection of buildings every year, by incurring huge expenditure, as required by the Government of India. In this connection, I wish to point out that a resolution was passed a couple of years back, in the All India Haj Conference that the cost of air ticket of one of the members deputed by the State Haj Committees for selection of buildings will be reimbursed by the Central Haj Committee, but this resolution has been put in a cold storage and has not been implemented so far. I request that, based on the above resolution, the cost of air ticket for one member, at least, may be borne by the Central Haj Committee and implemented from Haj-2003 season.

It is learnt that some of the buildings are located on hillocks in which Haj pilgrims are accommodated at Mecca. I request that such buildings should not be selected in future.

It is also understood that pilgrims from different States are accommodated in single rooms in various buildings. This causes problem in the movement of *Hajis* to *Madina* and other places in groups, because it takes a long time for picking up *Hajis* from different buildings and causes delay in the arrival of *Hajis* at *Madina,* thereby depriving them to perform 40 times prayers. Hence, it is suggested that pilgrims from each State may be given accommodation in buildings located in a cluster, so as to overcome this problem. It is also learnt that the Building Selection Team members deputed by various State Haj Committees were not allowed to inspect the buildings at *Madina*. As a result, there were a lot of complaints about the quality of accommodation at *Madina*. Hence, it is suggested that the members of Building Selection Team be allowed to inspect the buildings at *Madina* as well, and select buildings based on their suitability.

Sir, the State Haj Committees at various embarkation points have to incur huge expenditure, for making arrangements like transport facility to airport and back, deployment of seasonal staff, hiring of vehicles, telephone, fax charges, etc. But the Central Haj Committee reimburses only Rs. 100 per pilgrim towards transport charges without taking into account other actual expenses. State Haj Committees have been making representations in the matter, and it is suggested that the rate of reimbursement may be enhanced from Rs. 100/- to Rs. 150/- per pilgrim so that the deficit could be covered. I would also like to point out that some State Haj Committees meet their administrative expenditure from the administrative grant sanctioned by their respective State Governments, which is sometimes not sufficient to meet the expenses in full. They have to undertake various activities, as per the periodic guidelines issued by the Central Haj Committee, which include conducting of qura, wherever necessary, conducting of inoculation programme at the district level, conducting orientation camps, making supporting arrangements for operation of Haj flights etc. All these activities require deployment of seasonal staff and involve a huge expenditure. This has increased in recent years. It is, therefore, requested that the subsidy payable to State Haj Committees towards administrative expenditure may be enhanced from Rs.100 to Rs.200 per pilgrim, from the coming Haj-2003.

Sir, during Haj-2002, the Ministry of External Affairs had called for nominations for deputing staff to work in the Indian Haj Offices at Mecca and Madina, but very few got selected from among those nominated by State Haj Committees. It is unfortunate that though nominations are called for from State Government employees, none of them is selected by the Government of India. It is, therefore, suggested that suitable persons for the posts of Haj Officers, Assistant Haj Officers and Haj Assistants may be selected from those nominated by State Governments or State Haj Committees, at least from Haj-2003, so that there will be represetnation of varous State Government employees and pilgrims. As a result, the welfare of the pilgrims could be taken care of in a better manner during their stay at Mecca and Madina.

The Government of India deputes a Medical Mission to Saudi Arabia during the Haj season. Though nominations are called for from the State Governments, very few are selected from among the employees of the State Governments. Medical and para-medical staff from other Ministries of the Government of India manage to get the deputation. Pilgrims often complain of poor service by the medical teams. I, therefore, request that members of the Medical Mission may be selected from among those nominated by the State Governments and deputed along with the pilgrims from their respective States, for a more effective service.

Regarding deputation of volunteers, the Governmet of India have formulated certain guidelines, according to which Government employees alone could be deputed as volunteers. The pilgrims need guidance on performing religious rituals, as part of Haj. They find that deputation of religious scholars as volunteers is also necessary. Hence, I request the Government of India to allow religious scholars such as Ulemas to be deputed as volunteers, at least up to 50 per cent of the total number.

It is learnt that pilgrims of each State are brought under more than one Moallim, which causes a great hardship to the pilgrims. It is, therefore, suggested that pilgrims from one State may be allotted to a particular Moallim, for ease of coordination and assistance. The services of the Moallims and their response requires a considerable improvement. I request the Government of India to take up the matter with the Saudi authorities so that the services of Moallims can be improved.

It is seen that some of the officials handling Haj affairs in the Ministry of External Affairs and at the Consulate General of India, Jeddah, are not well-versed in Islamic practices and Haj rituals. I am sure there is

no dearth of Muslim officials to be posted there for handling Haj affairs. Hence, I request that Muslim officials well-versed in Islamic practices and Haj rituals may be posted there for handling Haj affairs.

Beforfe winding up my speech, I want to mention some of the steps taken by our hon. Tamil Nadu Chief Minister. She has announced an amount of Rs.52 lakhs for construction of the Wakf Board office in Tamil Nadu. Our hon. Tamil Nadu Chief Minister also made arrangements for issue of foreign exchange to the pilgrims at their starting point, namely, Chennai itself, instead of issuing foreign exchange at Jeddah. I will take just one more minute, Mr. Vice-Chairman. Our leader, Dr. Puratchi Thalaivi has nominated two Muslim ladies in two essential services, one as the Wakf Board Chairman and the other as a Service Commission member. I wholeheartedly support the Bill, I also request the Government to extend similar facilities to devotees of other religions also. In Tamil Nadu, my Chief Minister has announced a special Annadhana scheme. Devotees of the Hindu Religion who go to temples for Darshan are given free and sumptuous meals at the temples. This has received widespread appreciation from everybody. I request the Central Government to help in such programmes of the State with liberal grants. Thank you.

SHRI M.A. KADAR (Tamil Nadu): I thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I wholeheartedly welcome the Bill. I sincerely hope that the Bill will achieve its purpose. It is really heartening that the Bill is going to be enacted after a long wait. The Bill has provided for six zones. The existing six zones may be increased to ten zones for better management. A large number of pilgrims are benefited from Tamil Nadu. The selection of Haj pilgrims is made on the basis of draw of lots. Elderly people who are eager to go on Haj pilgrim are sometimes denied their chance due to the draw of lots. Therefore, I request that the elderly people should be given priority over youngsters. Suitable modifications in the selection procedure must be made to enable the elderly people to go on pilgrimage.

In Tamil Nadu, Chennai is the only place of embarking for Haj pilgrims. Madurai is the most convenient place for pilgrims from the southern part of Tamil Nadu. Madurai has an airport. Therefore, I request that Madurai should also be made an embarkation point. With these words, I support the Bill. Thank you.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस हज समिति विधेयक, 2000 का मैं स्वागत करती हूँ क्योंकि बदलते हुए समय और यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एक नई व्यवस्था आनी चाहिए थी और यह विधेयक उसी आवश्यकता की पूर्ति की ओर एक कदम है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वर्ल्ड में सेकेण्ड लार्जेस्ट नंबर इसका इस देश में है । हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान का मूल आधार है - सर्व धर्म समभाव । सभी धर्म के लोगों के लिए, उनके धार्मिक कार्यकलापों को संपन्न कराने के लिए सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उन्हें सुविधा और तमाम सुरक्षा का वातावरण प्रदान करे । उसी के तहत सरकार ने यह एक कदम उठाया है । वर्ष 1995 से पहले हज यात्रियों के लिए समुद्री यात्रा थी और आप जानते हैं कि समुद्री यात्रा बहुत ही कष्टदायक होती है। जब हज यात्री समुद्री यात्रा के दौरान समुद्री बीमारियों से पीड़ित होकर अपनी मंजिल पर पहुंचते थे तो इस लायक नहीं रहते थे कि वे अपनी धार्मिक भावना का ठीक भाव से इजहार कर पाएं । वर्ष 1995 से चार्टर्ड प्लेन से इनकी यात्रा शुरू हो गई । इसके साथ ही जैसा आप जानते हैं, जो हज यात्रा करते हैं वे उमरे-दराज लोग होते हैं, जिनको बहुत सी सुविधाओं की आवश्यकता होती है । विधेयक में आपने बताया है कि तमाम कमेटियां बनी हैं और यह किस तरह से उनको सुविधाएं प्रदान करेंगी । उनको सुविधा तो मिलनी ही चाहिए, उनको पारपत्र भी शीघ्र मिल जाना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि तमाम हज यात्री इधर से उधर भटकते रहते हैं, उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं देता है । इसमें एक बात और लिखी है कि यह लोग हज यात्रियो को एयरपोर्ट तक पहुंचा देंगे, इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि केवल एयरपोर्ट तक पहुंचा देना ही हज कमेटी का काम नहीं होना चाहिए, हज समिति की यहां तक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यह भी देखें कि हज यात्री जब हम यात्रा पर जाएं और वहां से वे किस तरह से सुरक्षित वापिस आएं। सुरक्षित और सुविधाजनक हज यात्रा की सुविधा प्रदान करना सरकार का कर्त्तव्य होना है यदि सरकार इस कर्त्तव्य को निभाती है तभी यह विधेयक लाना फायेदमंद हो सकता हे क्योंकि हज यात्रियों में ज्यादातर लोग उम्र दराज होते हैं।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि वहां प्लेन की सुविधा बहुत कम है। वायुयान इतने कम होते हें कि लोगों को वहां बहुत इंतजार करना पड़ता है और जैसा कि हमारे कई साथियों ने बताया है कि जेदाह में इंतजार करना बड़ा कष्टदायक होता है क्योंकि वहां रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। अत: इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

हज समिति के गठन में पारदिर्शता होनी चाहिए ऐसे लोग उसमें शामिल होने चाहिए जिनका जनसेवा से ताल्लुक हो। ऐसा ने हो कि ऐसे लोग बैठाए जाएं जिनके कारण हज यात्रियों को सुविधाएं भी ना मिलें और वहां वित्तीय अनुशासनहीनता भी होती रहे जैसा कि शिकायतें मिलती रहती हैं। यात्रियों कि चयन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से होती हे और ये अधिकार राज्य हज समितियों को दे दिया, यह अच्छी बात है, लेकिन इस चयन प्रक्रिया के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि एक बात ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो अधिक उम्र के लोग हैं, जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, हज यात्रियों के चयन में उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा होती है कि वे अपने शरीर को छोड़ने से पहले एक बार हज यात्रा कर लें, लेकिन वे लॉटरी में नहीं आ पाते है। इसका नतीजा यह होता है कि वे अपनी इच्छा दबाए रहते हैं और

उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अधिक उम्र के लोग हैं और जिनकी यह विशेष इच्छा है उनको मौका दिया जाना चाहिए।

सब्सिडी के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं सब्सिडी दिए जाने का समर्थन करती हूं। सरकार जब अन्य सभी बातों की सुविधा दे रही है तो उसे सब्सिडी भी दी जानी चाहिए क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन किराऐ बढते जा रहे हैं, प्लेन की यात्रा बहुत महंगी होती जा रही है तो सब्सिडी दी जानी चाहिए क्योंकि जो साधनहीन लोग होते हैं उनकी भी धार्मिक भावनाएं होती हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि वे भी वहां पर जाएं। इसलिए उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए लेकिन चयन प्रक्रिया सही होनी चाहिए।

मेरा इसके साथ साथ यह भी कहना है कि यह विधेयक जितना अच्छा लग रहा है, व्यावहारिक रूप में भी यह उतना ही अच्छा रहे और जो हज यात्री हैं उनकी पूरी सुविधाएं देते हुए उनकी यात्रा सुरक्षात्मक होनी चाहिए, यह देखा जाना चाहिए। यहां से उनकी सतर्क निगरानी होनी चाहिए ताकि वहां यात्रियों को कोई कष्ट ना हो। इसके लिए आप ऐम्बैसी से तालमेल करें या जैसे भी करें, लेकिन उन्हें हर चीज की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि अगर वे वहां जाते ही बीमार हो गए, उनको वहां कोइ स्वास्थ्य सुविधा न मिली तो उनका वहां जाना बेकार हो जाता है।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने 40 साल बोद जो कदम उठाया है वह बहुत अच्छा कदम है, आप उसको व्यावहारिक रूप में इम्प्लिमेंट करें और ऐसे लोगों को हज समितियों में लाएं जो उम्र दराज हज यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें ताकि हज यात्रियों को यह लगे कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते सरकार ने हमको यह सुविधा प्रदान की है जिससे हम सुरक्षित और सुविधाजनक हज यात्रा कर पाए हैं।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करती हूं।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

उपसभाध्यक्ष जी, मै इस बिल का इस्तकबाल करते हुए वजीरे खारेजा को इस बात मुबारकबार देता हूं कि पहली बार उन्होंने हज कमेटी को बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से पेश किया है और उसमें ट्रांसपिरेसी लाने की कोशिश की है। आज तकरीबन 72,000 हाजी हर साल जाते हैं और जैसा कि श्री आहलुवालिया जी कह रहे हैं उनकी संख्या बढती जा रही है ऐसे में इस कमेटी की बहुत बडी भूमिका होने वाली है । ट्रांसपिरेसी की बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक हज कमेटी का कोई लेखा जोखा, उसके खर्च आदि न संसद के पास आते थे, न किसी विधान सभा में जाते थे इसलिए उन पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो सेंट्रल हज कमेटी है और स्टेट हज कमेटीज़ हैं, उनके एकाउंट्स यहां पार्लियामेंट और विधानसभाओं के सामने पेश करने पड़ेंगे । कहां पर उन्होंने कितना खर्च किया है, इसका सारा हिसाब-किताब उनको देना पड़ेगा । यह एक अच्छी व्यवस्था इसमें की गई है।

महोदय, चैप्टर 4 के (सी) भाग में यह कहा गया है कि कमेटी को डिपाजिट और इन्वैस्टमेंट करने का अधिकार होगा । तो यह डिपाजिट और इन्वैस्टमेंट कहां होंगे, यह स्पैसिफाई

करना पड़ेगा । यह डिपाजिट और इन्वैस्टमेंट किन बैंकों में होंगे, यह स्पैसिफाई करना पड़ेगा । अगर कहीं प्राइवेट बैंकों में यह पैसा रख दिया जाए तो पता नहीं वह कहां चला जाए या फिर शेयर मार्केट में इन्वैस्ट कर दें तो पैसा कहीं डूब ही न जाए । इसलिए मंत्री जी को ऐनश्योर करना पड़ेगा कि कहां पर यह इन्वैस्टमेंट होगा । उन्हें ये गाइडलाइंस इश्यू करनी पड़ेंगी कि कहां पर वे इन्वैस्ट कर सकते हैं, किन बैंकों में, किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और किन मदों पर इन्वैस्ट कर सकते हैं ।

महोदय, चैप्टर 2 के क्लाज़ (4) में यह बात कही गई है कि 9 मेंबर सरकार नॉमिनेट करेगी जो विभिन्न क्षेत्रों के होंगे । अभी तक हज कमेटियों को लेकर सबसे ज्यादा यही शिकायत होती रही है कि सरकार जिन लोगों से खुश होती है, उनको वह हज कमेटी में नामजद कर देती है । इसे लेकर मुस्लिम आर्गनाइजेशंस में बहुत क्रिटिसिज्म होता है । वे कहते हैं कि यह आदमी फलां का खास है और यह हज कमेटी का चेयरमैन बन गया या वाईस-चेयरमैन बन गया । इस तरह की बहुत शिकायतें आती रहती हैं । इसमें कोई स्पैसिफिक बात नहीं कही गई है । इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि - "the members who have special knowledge of theology." अब वह कोई भी हो सकता है, किसी के बारे में भी आप कह सकते हैं । इसलिए इसके बारे में भी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि किस तरह का मेंबर उसमें हो सकता है, उसकी क्या योग्यता होगी, समाज में उसकी क्या स्थिति है, यह बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए ।

महोदय, चैप्टर 2 में पहले तो यह प्रावधान था कि इसका हैडक्वार्टर दिल्ली में होगा । फिर पता नहीं क्या हुआ कि जसवंत सिंह जी का एक संशोधन आ गया कि नहीं, इसका हैडक्वार्टर मुंबई में होगा । मेरे ख्याल से जब सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटीज़ बनाने का स्ट्रक्चर इसमें कायम हो गया है तो अगर दिल्ली में इसका हैडक्वार्टर रखा जाए तो सरकार को भी इसकी देखरेख में सहूलियत रहेगी और वैसे भी वह उसके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए इसका हैडक्वार्टर दिल्ली में ही रखा जाना चाहिए ।

महोदय, एक बात और पता नहीं क्यों जसवंत सिंह जी ने इसमें डाली है कि जो एक्स-ऑफिशियो मेंबर होंगे, वे चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन के चुनाव में भाग नहीं लेंगे । यह क्यों किया गया है, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया । इसका मतलब यह है कि आप उसके अंदर राजनीति को न्योता दे रहे हैं । इससे उसके अंदर बहुत ज्यादा पोलिटिक्स हो जाएगी क्योंकि वे जो 9 मेंबर हैं, जो विभिन्न मुस्लिम आर्गनाइजेशंस से होंगे या और कहीं से होंगे, वे दिन भर उसमें पोलिटिक्स करेंगे । इसलिए जो एक्स-ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि वे अध्यक्ष का चुनाव करें और सही व्यक्ति इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सके । पता नहीं जसवंत सिंह जी ने किस दबाव में बाद में ये संशोधन डाले हैं । यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मेरे ख्याल से सरकार को इन दोनों संशोधनों को वापस लेना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल को मैंने पढ़ा है । मैं यह बात ज़रूर कहूंगा कि इसमें सरकार का बहुत ज्यादा दखल है । हर चीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है । हर डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दखल रहेगा । यह दखल अगर थोड़ा कम हो तो मुझे लगता है कि काफी स्वतंत्र तरीके से यह कमेटी काम कर पाएगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात बार-बार यहां कोऑर्डिनेशन के बारे में कही जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हज कमेटी का रोल सिर्फ देश तक ही सीमित रहता है और वहां पर हमारा इंडियन मिशन ही इन हज यात्रियों की देखरेख करता है और इन दोनों कमेटियों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है । दोनों एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत करते रहते हैं । यह बात बाशा साहब ने भी उठाई और ओबैदुल्ला खान आज़मी साहब ने भी कही । मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय को इनके बीच कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन का सिस्टम कायम करना चाहिए ताकि इनमें बेहतर कोआर्डिनेशन हो सके । इनके कुछ मेंबर वहां रहें, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ।

महोदय, बार-बार एक विवाद सब्सिडी को लेकर होता है । हालांकि इसका ताल्लुक सिविल ऐवियेशन मिनिस्ट्री से है लेकिन यह बात बार-बार उठाई जा रही है कि सब्सिडी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए या कितनी दी जानी चाहिए । अभी हज के लिए आने-जाने का टिकट 12,000 रुपए में मिलता है । बीच में एक प्रस्ताव आया था कि इसको बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया जाए, जो कि कुल खर्च का आधा है । लेकिन उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया । मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि सब्सिडी दी जाए या न दी जाए । जब एक परंपरा चल रही है तो वह जारी रहनी चाहिए । कुछ लोगों का सुझाव है कि अगर हज के लिए सब्सिडी दी जाती है तो जो दूसरे धर्मों के तीर्थस्थल हैं, वहां जाने के लिए भी दी जानी चाहिए । यह तर्क वाजिब है । यह परंपरा चलती रही है और इसका बहुत से लोगों ने लाभ उठाया है । दरअसल इस बार एयर इंडिया हज यात्रियों की वजह से ही मुनाफे में आई है । मेरा कहना है कि इस सब्सिडी को जारी रखना चाहिए लेकिन इसमें दो संशोधन होने चाहिए । एक तो यह संशोधन होना चाहिए कि जो व्यक्ति पहली बार हज के लिए जा रहा हो, यह सब्सिडी सिर्फ उसे दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति हर साल हज के लिए जाते हैं, उनको यह सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए । क्योंकि जो गांव का गरीब आदमी है वह एक बार हज कर आता है और फिर हमेशा के लिए हाजी कहलाता है और अपने गांव में आराम सुख से रहता है। तो जो पहली बार जा रहे हैं सिर्फ उनको ही सब्सडी दी जाए। दूसरे, इन लोगों का एक रिकार्ड बना लिया जाए जो हाई इंकम ग्रुप में है या जो इंकम टैक्स पेई हैं उन लोगों को यह सब्सडी नहीं दी जाए। कल को अगर शाहरुख खान और आमिर खान भी इस सब्सडी के लिए कहें तो उनको भी इसका हक है। मेरे ख्याल से यह सही नहीं है। अतः हाई इंकम ग्रुप के लोगों को यह सब्सडी नहीं मिलनी चाहिए। यही मेरा कहना है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। शुक्रिया।

श्री संजय निरुपम : उपसभाध्यक्ष जी, पिछले डेढ़ घंटे से हज कमेटी के कामकाज पर सुधार लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए जो विधेयक लाया गया है, उस पर चर्चा हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं जिस कारण को लेकर थोड़ी देर के लिए आंदोलित था, उन कारणों के ऊपर मेरे पहले के वक्ता श्री राजीव शुक्ल जी ने थोड़ा सा प्रकाश डाला। मैं स्पष्ट कर दूं कि न मैं इस्लाम के खिलाफ हूं, न मुसलमान के खिलाफ हूं और न ही हज परम्परा के खिलाफ हूं। लेकिन इस सदन में पहले भी मैं बोल चुका हूं कि अगर मैं किसी चीज के खिलाफ हूं तो हज यात्रा को सरकार द्वारा प्रायोजित करने के खिलाफ हूं। हमें बड़े गर्व से सिखलाया जाता है कि यह एक सेक्युलर देश है, सभी धर्मों को समान भाव दिया जाता है। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मॉयनोरिटी के नाम पर या मुस्लिम समाज की पूरी दुनियां के मुकाबले हमारे पास सबसे बड़ी आबादी है इस नाम पर या वह गरीब हैं या उनका एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है

इस नाम पर हर वर्ष सब्सडी दी जा रही है। पिछले साल लगभग 150 या 140 करोड़ के आसपास सब्सिडी दी गई। मुझे लगता है कि यह गलत हो रहा है। बुनियादी तौर पर इस बिल के पीछे जो विचार छिपा है मैं उस बिल के खिलाफ हूं। लेकिन मंत्री जी परेशान न हों मैं इस बिल के समर्थन में वोट दूंगा अगर वोटिंग होगी, क्योंकि मैं सरकार में शामिल हूं, सरकार का हिस्सा हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। 1994 में 5 हजार रुपए सब्सडी दी जाती थी, 1995 में 5500 रुपए हो गई, 1996 में 7403 रुपए थी और अचानक 1997 में 14 हजार हो जाती है। पिछले साल यानी 2001 में 20606 रुपए कर दी गई। मैं बुनियादी तौर पर सब्सडी दिए जाने के खिलाफ हूं। लेकिन फिर भी सरकार के अंदर जो पत्राचार चल रहा है, जो व्यवहार चल रहा है इस सब्सडी के प्रश्न पर, उसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। कुछ दिन पहले लगभग 22 जून, 2001 को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सिविल एविएशन विभाग के पास एक चिट्ठी गई। उस चिट्ठी में लिखा गया है :

"With reference to your letter dated.... regarding the Cabinet Note on phased reduction in subsidy, the following are the comments of the Ministry duly approved by the Finance Minister".

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : चिट्ठी से कोट कर रहे हैं?

श्री संजय निरुपम : हां, मैं कोट कर रहा हूं और मैं उसको आथंटिकेट भी कर सकता हूं।

"The Ministry concurs with the proposal to fix subsidy at Rs.16,303 per pilgrim for 2002, which is, 50% of the estimated pilgrimage fare for May, 2001. However, a timebound schedule..."

फेज्ड मैनर में जो करना है सो करे। यह नहीं है कि 16 हजार और 12 हजार ही सब्सिडी दी जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लिखा गया कि किराया तो हर साल बढ़ेगा लेकिन किराए के साथ-साथ सरकार की सब्सिडी भी हर साल बढ़े यह अच्छी बात नहीं है। आप सब्सिडी फिक्स करदें। हज यात्रियों को जो फेयर देना पड़ता है अगर उनका भाड़ा बढ़ता है तो कोई तकलीफ नहीं है। सरकार ने नहीं माना। अगर आपने सब्सिडी फिक्स करदी तो उसके बाद जो आधा हिस्सा बच रहा है वह फेयर पड़ेगा तो वह मुस्लिम समाज को देना चाहिए। लेकिन संयोगवश या दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति है कि यहां पर तय किया गया कि मुस्लिम समाज 12 हजार से ज्यादा नहीं देगा। बाकी जो भी पैसा घट रहा है, जो भी पैसा बच रहा है केवल जो भी एक हिस्सा बच रहा है वह सरकार देगी, इसी वजह से सब्सिडी हर साल बढ़ रही है। हमारा कहना यह है कि अगर सबसिडी देनी है, बुनियादी तौर पर मैं इसके खिलाफ हूं, मैं एप्रूव नहीं करता। फिर भी अगर सरकार, जैसा कि राजीव शुक्ल जी ने कहा कि एक परम्परा चली आ रही है, फिर भी इस परम्परा को आगे बढ़ाना है सरकार को तो कम से कम सबसिडी एक जगह पर ले जाकर फिक्स कर दे, एक अमाउंट फिक्स कर दे। यह फाइनेंस मिनिस्ट्री की चिंता है और यह चिंता बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि इस देश की इकानामी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से खर्चा बढ़ता चला जा रहा है उससे वित्त मंत्री परेशान हैं, सरकार परेशान है और बाकायदा सरकार हर साल कसम खाती है, शपथ लेती है कि जिस तरह से सरकारी कार्यालयों में खर्चा बढ़ रहा है उसमें कटौती की जायेगी, खर्चे पर कंट्रोल किया

जायेगा, उसको नियन्त्रित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्रालय की तरफ से जो एक निवेदन आया था, उस निवेदन को माना जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं माना जा रहा है। मैं आगे बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का तर्क है कि साहब यह माइनोरिटी है, इसके साथ न्याय किया जाना चाहिए। ठीक है न्याय करिए। लेकिन इस देश में और भी माइनोरिटीज हैं, सिख समाज है, क्रिश्चियन समाज है, सिर्फ माइनोरिटीज की बात करनी है तो सिख समाज का अपना ननकाना साहब पाकिस्तान में है। क्या सिखों के ननकाना साहब की तीर्थ यात्रा के लिए भारत सरकार कोई अपनी तरफ से योजना बनायेगी? कोई कार्यक्रम बनायेगी, क्या उनको कोई संरक्षण देगी? ऐसी कोई व्यवस्था पिछले पचास-पचपन वर्ष में नहीं हुई है। यह कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुआ, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन कम से कम हमारी सरकार इस विचार को, इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले। दूसरी बात, वेटीकन सिटी का प्रश्न है। वेटीकन सिटी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है, वह पवित्रतम तीर्थ-स्थल है। वहां पर कैथलिक समाज के लोग जाते हैं, उनकी वहां पर आस्था है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। रही बात हिन्दुओं की तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इस देश में हिन्दुओं के पक्ष में बोलना, साम्प्रदायिक होना है। कैलाश-मानसरोवर चाइना में है, लोग जाते हैं। हर साल एक लाख के आसपास लोग जाते हैं, वे अपने पैसे से जाते हैं, भारत सरकार की तरफ से पैसे का कोई विशेष इंतजाम नहीं होता है। उल्टे सबसिडी की बात छोड़े, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले हर हिन्दू से मेडीकल टैस्ट के नाम पर 36 हजार रुपये लिये जाते हैं। और अगर आप मेडीकल टैस्ट में अनफिट हो गये, अयोग्य साबित हुए, तो वह 36 हजार रुपये भी वापस नहीं मिलते हैं। एक तरफ सरकार एक समाज की तीर्थ यात्रा पर बीस-बीस हजार रुपये प्रति यात्री खर्च कर रही है, डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च कर रही है और दूसरी तरफ अगर हिन्दू समाज जाना चाहता है, हिन्दू तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर जाना चाहता है तो उसका पैसा भी जब्त कर लिया जाता है। यह जो भेद-भाव की नीति है यह खत्म होनी चाहिए। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं। एक सेक्युलर देश में यह जो भेदभाव की नीति है, इस नीति का मैं विरोध करता हूं, इस नीति का मैं निषेध करता हूं। जिस समय अयोध्या में राम शिला की पूजा हो रही थी तो पीएमओ से एक आफीसर वहां पर चला गया, उस शिला को स्वीकार करने के लिए तो आग लग गई। सारे अखबारों में हमारी आलोचना हो गई, सरकार की आलोचना हो गई कि कैसे प्राइममिनिस्टर कार्यालय का अधिकारी वहां जा सकता है, यह एक सेक्युलर देश में कैसे हो सकता है, एक सेक्युलर सरकार कैसे कर सकती है। मैं जानता हूं कि हर साल की ऐसी स्थिति है कि जब भी हज़ के लिए कोई विमान जाता है तो उस विमान का बाकायदा इस देश का नागरिक उड्डयन मंत्री या और कोई भी मुस्लिम मंत्री होता है, वह हरी झंडी दिखाता है। बाकायदा इस तरह की न्यूज एयर इंडिया की तरफ से रिलीज की जाती है। Shri Syed Shahnawaz Hussain flags of the Haj flight from the Kozhikode Airport. Syed Shahnawaz Hussain, Minsiter of Civil Aviation flaged of the first Haj flight from the Kozhikode Airport today.

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : अब आप वाइंड-अप करिए।

श्री संजय निरुपम : सर, मुझे वाइंड-अप करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी कड़वी बात कहने के बाद मुझे वाइंड-अप ही करने के लिए कहा जाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : : सवाल मीठी और कड़वी बात का नहीं है। आपके पास चार मिनट का समय था, मैं आपको सात मिनट का समय दे चुका हूं। इसीलिए आपको वाइंड-अप करने के लिए कहा जा रहा है।

श्री संजय निरुपम : सर, मुझे मालूम है। मैं पिछले छह साल से झेल रहा हूं, मुझे ही टाइम याद दिलाया जाता है। मुझे उस विवाद में पड़ना नहीं है। मेरा कहना यह है ..।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप उसकी जिम्मेदारी चेयर के ऊपर मत थोपिये।

श्री संजय निरुपम : सर, मैं थोप नहीं रहा हूं। इस सदन में बैठे हुए सो काल्ड सेक्युलर लोग हैं, जो धर्म-निरपेक्ष लोग हैं और जो हमें बार-बार धर्मनिरपेक्षता सिखलाते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि हज़ के नाम पर जो सेक्युलरिज्म चल रहा है, क्या यही सेक्युलरिज्म आपको चाहिए। अभी हमारे पीछे जो साथी बैठे हैं, उन्होंने बोला कि साहब अब तक डेढ़ सौ करोड़ दिया अब तीन सौ करोड़ मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम बाहर जाते हैं, भारत का नाम बड़ा होता है। जब आपको संरक्षण चाहिए तो आप मुस्लिम बन जाते हैं और जब कानून की बात आती है तो अपने कानून को पकड़ कर बैठ जाते हैं। आप इस देश का एक कॉमन कानून एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस देश का कॉमन कानून एक्सेप्ट करते समय आप सरकार को दरकिनार कर देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया तो उस फैसले को पलटवा दिया जाता है, संसद में बाकायदा संविधान में संशोधन करके। लेकिन जब आपके अपने फायदे की बात आती है तो आप भूल जाते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि जो बिल लाया जा रहा है, ठीक है, उसको पास किया जाना चाहिए। हज़ कमेटी के काम में पारदर्शिता भी लाई जानी चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर कहीं न कहीं, कभी न कभी इस सरकार को एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर आप सेक्युलर हैं, सेक्युलर बने रहना चाहते हैं तो इस तरह से किसी एक धर्म विशेष, मज़हब विशेष को इतना संरक्षण देने की जो परम्परा है, उस परम्परा को रोकना पड़ेगा, नहीं तो बाकी जो धर्म हैं, बाकी जो मज़हब हैं, उन मजहबों की तीर्थ यात्राओं को भी आपको संरक्षण देना पड़ेगा। धन्यवाद ।

श्री एस.एम. लाल जन बाशा : महोदय, मैंने अपने भाषण में पहले ही कह दिया था..

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है । मंत्री जी से सवाल किया गया है, इसलिए आप इसे मंत्री जी के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि इस तरह से यह बहस कभी खत्म नहीं होगी और केवल मंत्री जी ही इसे खत्म कर सकते हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : जनाब नायब सदर साहब, मैं इस कानून की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । वैसे तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी और बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी पार्टी की तरफ से जनाब श्याम लाल साहब तकरीर कर चुके हैं । शुरू में मैंने ऐसा समझा था कि 1959 का जो कानून है, उसको इसलिए भी खत्म किया गया कि उसमें एक क्लॉज था, "Composition of the Haj Committee, as provided in the Act, is unrepresentative." तो मैंने समझा कि मेरी पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम मैंबर नहीं है और शायद मुस्लिम मैंबरान ही इसमें हिस्सा लेंगे । कहीं अन रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर का यह डिसकशन न हो जाए, इसलिए मैंने बोलने की जुर्रत की । अलबत्ता मैं कुछ तजवीज़ आपकी खिदमत में और खास तौर से वजीरे खारजा की खिदमत में पेश करना चाहता हूं । जनाब, यह सैक्शन चार में जो

चार ऐक्स ऑफिशियो मैंबर्स हैं, यह जरूरी नहीं है कि मुस्लिम्स ही हों, ये सभी गैर मुस्लिम हो सकते हैं । लेकिन वे कमेटी के मैंबर हैं । तो फिर गैर मुस्लिम ऑफिसर इसका मैंबर क्यों नहीं हो सकता ? दो मैम्बर कानूनविद या बहुत तालीमयाफ्ता होंगे, उनमें एक शिया जरूर होगा, एक औरत भी मैम्बर होगी, चार ऐक्स ऑफिशियो मैंबर्स होंगे जो यकीनन नॉन मुस्लिम हो सकते हैं । मेरी तजवीज़ यह है कि इसमें बाकायदा एक गैर ऑफिसर भी नॉन मुस्लिम हो जाए तो अच्छा होगा। दूसरा, जनाब रहमान साहब फरमा रहे थे, मौलाना ओबैदुल्ला आजमी साहब तशरीफ ले जा चुके हैं, कि कमेटी को अख्तियारात नहीं हैं । मैं समझता हूं कि इसमें शुरू में ही कमेटी को काफी अख्तियारात दे रखे हैं, "To approve the Budget estimate of the Committee and submit to the Central Government " इस बजट ऐस्टीमेट में वह भी मिकदार शामिल है जो मकानात वगैरह खरीद के लिए होगी और तमाम इखराजात जो हाजियों के ऊपर और हज में आएंगे, मैं समझता हूं कि वे सब इसमें शामिल हैं । इसके अलावा जनाब रहमान साहब ने फरमाया कि इस कमेटी को इख्तियारात होने चाहिए कि यह पैसा इकट्ठा करे और खरीद फरोख्त भी करे, तिजारत भी करे । वह भी इसमें मौजूद है । मैं एक गुजारिश संजय निरुपम साहब की तरह करना चाहता हूं । मैंने एक बार एक कहानी सुनी कि कहीं मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच में फसाद हो गया और वहां जितने भी मुसलमान थे, वे मारे गये और केवल दो बच गये । उन्होंने सोचा कि हम कैसे बचें तो फिर उनमें से एक ने कहा कि हमारे बचने की एक ही तरकीब है कि ये जो गैर मुसलमान हैं, इनकी तादात ज्यादा है, ये हाजी को नहीं मारते इसलिए तुम मुझे हाजी कहना और मैं तुम्हें हाजी कहूंगा । "मन तोरा हाजी बेगोयम, तू मरा हाजी बेगो।" इसका सीधा मतलब है कि जो हज करने के लिए जाता है और हज करके आता है, वह अपनी तमाम खुराफात, बदमाशियां, अय्यारी, मक्कारी, सब वहीं छोड़ आता है । तो फिर उसे मुसलमान बन जाना चाहिए, इंसान बन जाना चाहिए और जो रोजाना फसादात होते हैं, सोसायटी में गलत बातें होती हैं, उनकी रोकथाम भी उन्हें करनी चाहिए । वक्तन फवक्तन, गाहे-बगाहे हाजियों को इस तरह की जमात लगानी चाहिए और अहले इस्लाम को बाकायदा उन्हें हिदायत करनी चाहिए कि हम हाजी हैं और हमारा मजहब हमें यह इजाजत नहीं देता । गो कि मैं माफी चाहूंगा, रहमान साहब इसको बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि इस्लाम का नजरिया हज के बारे में क्या है, मैं इसको नहीं समझता लेकिन जहां हज हर मुस्लिम पर फर्ज है, उसके साथ साथ यह भी है कि हज करने के बाद इस्लाम का उसूल है कि इस्लाम अमल है और अमल काहे का है, उसूलों का अमल । हाजी को उस इस्लाम के उसूलों का आमिल बन जाना चाहिए, यह भी मेरी गुजारिश है । इन अल्फाज के साथ मैं फिर मजीद ताईद इस कानून की करता हूं। शुक्रिया ।

SHRI M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome this Bill, and I congratulate the hon. Minister for this healthy tendency of coming with such an important Bill which is related to the secular credentials, the religious freedom and the great heritage of our nation. This subject is very much related to Islam as a belief, and also to India, as a country. Islam considers Haj, as has already been mentioned by hon. Members who spoke before me, as one of the cardinal principles of religion. It has two aspects. One aspect is related to the purification of the individual, and the other is one of universal brotherhood. People cutting across differences of caste, nationalities, languages and so on, assemble

there. Sir, Haj is considered as the biggest international conference where people from all nations, languages and so on, assemble, and they declare the great motto of universal brotherhood and fraternity. It is nothing but fair and nothing but an honour and a privilege for our nation, to send our citizens to such a great religious assembly, because our country also has many people who profess the faith of Islam. And so, I think there is no meaning in linking such an issue with the majority and minority problems. It is in no way related to the majority and minority problems. It is meaningless to make it controversial, especially in this kind of an hour when there is an urgent need throughout the country to strengthen our bonds of relationship, our bonds of communal harmony and the bonds of fraternity amongst various communities. I think it should be considered as an opportunity for introspection. The role of religion, whether it is Haj or Teerthyatra, is that of self-realisation; it is that of self-purification; it is of brotherhood, as Guru Nanak Devji declared. Guru Nanak Dev is often considered as a great link between the Hindu brethren and the Muslim brethren. He said, if you go for Haj, you go for Bhakti. Bhakti in Islamic terminology, is *taqva*. I think Guru Nanak used the same terminology, because he was very much aware of the terminology of Islam. At the same time, Guru Nanak said, if you go to Ganga, you go with bhakti; when you take a dip in the waters of the Ganges, you do it with bhakti; if you don't have bhakti, then there is no difference between the frog that is living in the Ganga and the pious man who is going for such a pilgrimage. So, I feel these kinds of things should contribute for an inter-community dialogue. I am not criticising my hon. friend, who spoke from the other side, Shri Shyam Lal. I appreciate that he went into the details of it and made a very good speech. He had studied it. But he said that the Muslims go for darshan of the Paigambar, Mohammad Saheb; they go to see Prophet Mohammad. Actually, it is not for that. Haj is not for darshan of any Prophet or any human being; Haj is for strengthening the belief in God, the one God. He has not said it intentionally. But this is a gross misunderstanding that people have. We live in the same country. We drink the same water. We breathe the same air. But there are bridges to be built between the various communities. So, whether it is Haj, the Kailash Yatra, the Badrinath Yatra or any other thing, these pilgrimages must contribute to a new awakening of mutual understanding between the various communities of our country. Sir, the issue of Haj, whether it is the subsidy or the other things, is not related to article 25 of the Constitution. Every person is entitled to profess, to practice and to propagate his religion. It has been provided in the Fundamental Fight

to religion. As per the faith, the *Musalman* should go to Mecca. Mecca is not in India; it is abroad. And Madina is abroad. So, naturally, Government intervention is highly essential. There is no meaning in making it a controversy. If a citizen of this country goes to another country, there must be Government intervention. To compare such a situation with Ayodhya -- I am not going into the details of it -- is nothing but meaningless comparison. Ayodhya incident is completely different from this. If our Minister goes to flag off the flight to Haj, it is nothing but an honourable position for the country. The Minister goes there to flag off the flight of Air India, which is our national airline. It is gaining a big amount, I think, through this kind of Haj missions. Sir, I would conclude my speech by making a few suggestions on this very important Bill which has already been formulated by the Government. Sir, I would like to suggest to the hon. Minister that the State Haj Committees should be given more freedom, more power, because there is the problem of language. Many of the Hajis who go there may be illiterate. The State Haj Committees know the pulse of the pilgrims more than the people who sit in the capital city of the country.

Sir, as far as selection of places for accommodation, the medical mission and the people who have to teach the pilgrims about Haj practices -- that person is called the *Moallim* -- are concerned, if the State Haj Committee is given more access to the management, I think, that will be in the interest of the pilgrims who go there.

Sir, as has already been mentioned here, I would like to say that the selection of places for accommodation must be done in a transparent manner. There are reports, and there were reports, throughout the year, about certain things which happened in regard to selection of places. It must end, at least, when the new legislation comes into existence. Such controversies must come to an end. To make it a reality, I suggest -- I support Shri Rahman Khan who mentioned it here with all importance -- there must be transparency in this mission.

Sir, on this kind of an occasion, when the Hajis go there, actually, every Haji becomes the ambassador of the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): You are repeating it. Please conclude.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: I am concluding, Sir. I am not repeating. I am only adding.

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): You have made this point earlier.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: When we send delegations to countries abroad, as already mentioned by my brother, then what happens is, the country's mission is spread there, our message is spread there. So, if a Haji is going there, the same thing is happening. These goodwill missions are to be made scientific. The Missions abroad, specially in Saudi Arabia, have to be strengthened, in terms of staff, medical services, and also in the spirit of the Haj. Sir, Haj is a religious practice, and the spirit of worship must be there. If everything is dealt with in that spirit, then, I think, this new legislation will contribute to the betterment of the situation. Thank you, Sir.

†**मिर्ज़ा अब्दुल रशीद** (जम्मू और कश्मीर) : थैंक यू वाइस चेयरमैन साहब, यह बिल, जो ऑनरेबल वज़ीरे अमूरे खारजा ने पेश किया है, मैं उसके हक में, सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं । इस सिलेक्ट कमेटी में बड़े-बड़े सीनियर और सीज़ंड लोग थे, उन्होंने सोच-समझकर इस बिल को सबमिट किया है और जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश की है । जहां तक इस बिल पर बोलने का ताल्लुक है तो मैं दो मिनट का टाइम लूंगा । अल्लामा इक़बाल कहते हैं - चूं दानम मुसलमानम मन बेलरज्म

कि दानम मश्किलात-ए-ला इलह रा ।

अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि जब मैं महसूस करता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं क्योंकि मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है । हमारा कुराने करीम अल्लाह ने जो किताब दी है उसमें इन पांच चीजों की ताकीद की है, जिक्र भी है । ये पांच चीजें हों तो आदमी, खासकर मुसलमान मुकम्मल हो सकता है । पहले तो कलमा तईबा पढ़ने के बाद उस पर अमल करे । अमल न कर सके तो नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है । नमाज में सजदे से क्या मिलता है ? "मिलता है क्या नमाज में सजदे से, सजदे में जाकर देख खुदा मिलता है" लेकिन हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं वह दिखावे की होती है ।

इसी तरह से उसके बाद ज़कात है। एक मुसलमान को हलाल की कमाई करनी है और साल के बाद अगर उसको एक सौ रुपए बच जाते हैं, अपना खर्च करने के बाद तो उसका ढाई रुपया उसको ज़कात देनी है। अगर नहीं देगा तो वह सारा का सारा एक सौ रुपया या चाहे दस हजार रुपया है, वह हराम हो जाता है। यह इस्लाम कहता है। इसी तरह से रोज़ा है। अपने दिल को साफ करने के लिए, शैतानियत से बचने के लिए, गुमराही से बचने के लिए और जहन्नुम से बचने के लिए ये सारी चीजें ताकीद की गयी हैं।

---

† Transliteration of the speech in Persian Script is avaialbale in the Hindi version of the debate.

जहां तक हज का ताल्लुक है, हज हर एक मुसलमान का फर्ज नहीं है। हज फर्ज है साहिबे निसाब पर जो हलाल की कमाई करने के बाद जकात दे सकता है, अपने माल की। हज फर्ज है साहिबे हैसियत पर। जो अमीर आदमी है उस पर हज फर्ज है। हर गरीब आदमी पर हज फर्ज नहीं है। इसलिए हम यह सजेस्ट करेंगे कि जो गुडविल डेलीगेशन में लोग जाते हैं उनमें अगर गरीबों को मौका दिया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि गरीब पर हज फर्ज नहीं है लेकिन उस फर्ज से वह भी मुज़य्यन हो सकता है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें रहमान साहब ने तफसीलन बात की है कि पहली बार 40 साल के बाद इसमें यह अमेंडमेंट आई है और यह कंप्रीहेंसिव बिल पेश हुआ है। अब पार्लियामेंट के सामने यह हज कमेटी जिम्मेदार होगी। इसके इखराजात भी आएंगे। यह बड़ी अच्छी बात हुई है। सबसे अच्छी बात यह हुई है कि स्टेट्स की जो हज कमेटियां हैं वे भी इस सेंट्रल हज कमेटी के अंडर रखी गयी हैं। इसका एक तसलसुल होगा। कंप्रीहेंसिव ढंग से इसमें अमल किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंटरनेशनल लेविल पर जब हज होता है तो एक अरब तीस करोड़ मुसलमान जो इस दुनिया के एक सौ से ज्यादा लगभग डेढ़ सौ मुल्कों तक में बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जो मुसलमान रहते हैं उनमें से लगभग 20 से लेकर 30 लाख मुसलमान जो हज में इकट्ठे होते हैं, वहां पर 70 से 80 हजार हाजी हर साल जब यहां से जाते हैं तो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। उमरा तो राउंड द इयर होता है। हज तो एक साल में ईद-ए-कुरबानी के वक्त होता है, वरना उमरा तो किसी वक्त भी कोई जा सकता है। इस लिहाज से जैसे रहमान साहब ने कहा कि 3 लाख हाजी हर साल जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेविल पर हमारे भारत का जो इतिहास है, उसकी जो विरासत है, इसका जो भाईचारा है वह रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे अच्छी बातें लेते हैं, उनको अच्छी बातें देते हैं। यह बहुत बड़ी अच्छी बात है।

जहां तक सब्सिडी का ताल्लुक है। हमारे साथी ने फरमाया, मुझे तो लगता था कि ये इस्लाम के खिलाफ कुछ कहेंगे, ये मुसलमानों के खिलाफ कहेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ सब्सिडी के बारे में बात की। हम ताईद करते हैं। अगर मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर दूसरे धर्मों को भी यह कन्सेशन दी जाए तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा बल्कि खुशी होगी।

उमर साहब यहां तशरीफ रखते हैं। हमें यह खुशी है कि जब से ये आए हैं इन्होंने अपने सीनियर मंत्री के समेत मुल्क में हज की सहूलियत के लिए, मुख्तलिफ रियासतों में एक डायरेक्ट फ्लाइट लगायी है। इसी तरह हमारे जम्मू काश्मीर रियासत में जो मेजारिटी मुस्लिम स्टेट है, उसमें सदियों से पैदल हज हुआ करते थे, फिर बाइ रोड हुआ करते थे, फिर बाइ शिप हुआ करते थे, फिर बाई एयर हुआ करते थे, हम मुबारक देंगे उमर अब्दुल्ला साहब को कि उन्होंने मरकजी रियासत से पहली बार इस साल डायरेक्ट हज फ्लाइट श्रीनगर से जेद्दा शुरू की जिससे वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली है और बड़ी खुशी हुई है। हम चाहेंगे कि इसी तरह से जम्मू से भी, जहां 40 परसेंट मुसलमान हैं, डायरेक्ट हज फ्लाईट अगर जेद्दा की तरफ की जाए तो यह इनका अहसान होगा और वहां के लोगों की मुश्किलों में कमी आएगी और राहत मिलेगी। इसके अलावा मैं सिर्फ इतनी बात इनसे गुजारिश करूंगा कि यह जो हज कमेटी है उसकी पावर्स को बढ़ाया जाए ताकि जेद्दा शरीफ में भी, काबा शरीफ में भी और मदीना शरीफ में भी यह हज कमेटी जाकर अपने हाजियों की जो मुश्किलें हैं उनकी कमी करने में उनकी मदद किया करे। मैं इतना कहते हुए इस बिल की ताईद करता हूं। शुक्रिया।

SHRI OMAR ABDULLAH: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would, at the beginning, like to place on record my gratitude to all the Members who have participated in this debate. I was fortunate enough to have, in the course of this debate, two Members making their maiden speeches. I would like to compliment them for the speeches that they made and also for the valid suggestions they made during the course of their speeches. This Bill, that we seek to pass in the Rajya Sabha today, is about the restructuring and reconstituting of the Central Haj Committee, the State Haj Committees and actions related thereto. It doesn't pertain to the subsidy, flights or the arrangements or lack of them in Saudi Arabia. Unfortunately, during the course of this debate, somehow, we seem to have gone off tangent and the majority of time seems to have been spent either in talking about the arrangements in Saudi Arabia and they have gone about or the subsidy, whether it is a good or a bad thing. At least, on the subsidy side, Mr. Vice-Chairman, this is an argument I do not want to get into. The fact is that for the last many years, successive Governments have felt that there are no options for Hajis in terms of travelling to Saudi Arabia. Earlier they had the option of going over land or by sea. Those were the cheaper options. They exercised those options. So, there was no question of subsidy. Now the Saudi Government has closed those options and the only option is to travel by air. Successive Governments have felt the need to subsidise this air travel. And this arrangement has been continued by the Government of which I am a member. Having said that, it is also the commitment of this Government to explore ways and means and to work with both the Central Haj Committee and the Muslim leadership of this country to see how best this subsidy scheme can be rationalised and to see that in due course of time whether it would be possible that all Muslim members of this country would be able to perform Haj without the need for subsidy. As a Muslim, I can share with this House that there is a debate within Muslims as to whether this subsidy is in keeping with our religion or not because, as Mirza Abdul Rashid Saheb rightly said, our religion says that Haj is only compulsory for those people who are able to perform Haj and able to peform not just physically, but able to perform financially also. Therefore, if you need subsidy of the Government of India to perform Haj, then are you going against the tenets and practices of Islam or not, this is a debate which is going on within Islam. But it is out of the context of the Central Haj Committee Bill. Mr. Vice-Chairman, Sir, the Central Haj Committee Bill or rather the Haj Committee Act was brought in 1959. At this time all Hajis left by sea and all Hajis went from Bombay. Therefore, the structure of this

Act, the structure of this Central Haj Committee, the weightage given to Maharashtra and particularly to the then Bombay, now Mumbai, was out of the proportion to the rest of the country. Over the years, as I pointed out, the transport of Hajis by ship has been replaced with flights. In fact, now this year we had 10 embarkation points for Hajis stretching from Srinagar down to Hyderabad, Mumbai, Calcutta and numerous other cities in India. Therefore, it was felt that keeping with the change in time, keeping with the fact that no longer was Mumbai a pre-eminent place for departure of Hajis, the Central Haj Committee Bill or rather the Haj Committee Act would have to be replaced by the Central Haj Committee Bill, 2000. This Bill would then seek to correct some of the inconsistencies and imbalances that are in place in the existing Act of 1959. This Bill was placed before the House in 2000. It was presented or rather referred to the Standing Committee on External Affairs. That Committee made certain recommendations In fact, they made 23 recommendations for alterations to be made to the Bill as it has been presented. I am pleased to say, Mr. Vice-Chairman, Sir, that out 23 recommendations, 22 recommendations have been accepted in *toto*. One recommendation has been accepted partially and that was the recommendation about the shift or rather the original Bill of 2000 suggested that the Central Haj Committee office be shifted from Bombay to Delhi in keeping with the move of emphasis away from Mumbai and that regional offices be opened. The Government of India, after considering this fact, felt because the infrastructure and an enormous Central Haj Committee office was already in place in Mumbai, it would be pointless to reconstruct a similar office in Delhi and then infrastructure that is already in place in Mumbai would go waste. Also, as far as regional offices were concerned, it was felt that as of right now, the State Haj Committees were doing an excellent job. It was not necessary to have regional offices of the Central Haj Committee in various States. But that provision has been kept open, and, in case, that need is felt necessary, we would get into that as and when the need arises.

Then, the number of pilgrims has increased dramatically, from 24,000 in 1992 to 72,000 in the year 2002. Along with this, the Central Government, working with the Central Haj Committee, has also endeavoured to transfer a lot of their responsibilities for the arrangements in the run up to the Haj to the various State Haj Committees. For example, the draw of lots by which pilgrims are selected, or the *qura*, earlier, was the responsibility of the Central Haj Committee, carried out in Mumbai. This responsibility has gradually been transferred to the State Haj Committees. The pre-

embarkation arrangements, transportation to the embarkation points, provision camps, and facilities at such points, all these arrangements have gradually been transferred to the State Haj Committees because it is felt that the State Haj Committees being on the ground right there, will be able to make better arrangements. Of course, in a supportive capacity, the Central Haj Committee and the Ministry of External Affairs continue to work. A number of Members who participated in this debate had made a reference to the fact that the Central Haj Committee has no role to play. Once the *Hajis* leave India and reach Saudi Arabia the Central Haj Committee has no role to play in the selection of accommodation. As a result, sub-standard accommodation is chosen or there is some amount of financial impropriety in the selection of residential units in Mecca and Madina. Now, first and foremost, every effort is made to maintain a transparent system in the selection of accommodation. The guidelines for selection of accommodation are laid down by the Government of Saudi Arabia, in terms of the amount of space to be made available. This year, the amount of space for the *Hajis* was increased from 2.5 sq. meters to 3 sq. meters. Aside from that, the guidelines of the Ministry of External Affairs to our officials in Saudi Arabia and the accommodation teams that visit there are that no building without lift and telephone will be taken on rent for *Hajis*. To suggest that the Central Haj Committee has no role to play in this, is incorrect because what happens is, the accommodation is selected jointly by teams of the Central Haj Committee as well as officials of the Consulate General of India. For this purpose, building selection teams are deputed. The State Haj Committee officials also go to Mecca. They select buildings as per the pre-set norms for this purpose. Rooms are measured. Buildings are taken on the basis of the number of pilgrims. As I mentioned, no buildings are taken without lift or telephone facility, and they must fall within the prescribed distance from *Harin Sharief*. After the buildings are identified, a member of the Haj Committee visits Mecca Sharief and goes through each of these selections, visits each of the buildings, ensures that the guidelines that are laid down are being followed, and makes sure that the *Hajis* get the best possible accommodation. Wherever problem arises with the accommodation, is not with the pre-set numbers of *Hajis*, for which the officials in Saudi Arabia receive prior notice. It is when at the last minute, sometimes, the Central Haj Committee sends people from the waiting list, and, within a few days' notice, asks our officials in Mecca and Madina to make accommodation available, then we have to settle for a lower category of accommodation because, otherwise, we are accused of

not making facilities available. But, if prior information is made available to the Government officials by the Central Haj Committee, then, accommodation, within the prescribed norms, is made available to the *Hajis*. As far as the financial impropriety of bungling in financial transactions is concerned, it has been the effort of this Government, of my Ministry, working alongside with our counterparts in the Saudi Government, to ensure that each contract that is signed with landlords by the Government, a copy of that is made available to the Haj Ministry in the Kingdom of Saudi Arabia. The purpose of this is that each of these contracts is vetted. If necessary, it is investigated. And, if the Saudi Government feels that there has been some sort of impropriety or financial bungling, they get into the act themselves. A distinguished Member from Andhra Prradesh, in the course of his maiden speech, if I am not mistaken, made a suggestion that the Vigilance Commission could, perhaps, somehow, be involved in this. I believe, Mr. Vice Chairman, this is a very good suggestion. This is a suggestion that my Ministry will be happy to consider. And we will certainly look into this possibility, whereby the Vigilance Commission or the Vigilance Department of the Ministry of External Affairs can have oversight facilities into the functioning of the Haj Committee as well as into the financial dealings, and also the accommodation and other arrangements that are made with regard to the Haj. I am sure this may be a solution the allegations that are made about financial impropriety and other bunglings that are supposed to go on during the course of the Haj.

As far as accommodation at Madina is concerned, this is not something that is done by the Government or by our officials. The building selection teams in Madina are sent by the Central Haj Committee, and they are responsible for selection of the accommodation. In fact, most of the time, accommodation at Madina is not a problem. If I am not mistaken, a number of pilgrims in the last Haj, in fact, stayed in three or four-star hotels for Saudi Riyal 200 only, which is, I think, an excellent deal for the Hajis to be able to stay there for the period that they are there.

A reference was made to the effect that, perhaps, Air India is cross-subsidising itself through the Haj business that they do. It was suggested that commercial tickets are available for Rs. 27,000/- whereas the rate that Air India charged this year was $700, which works out to Rs. 33,600/-. Hon. Members must remember that in commercial flights, they have traffic in both directions. On a commercial flight, they pick up passengers in Delhi and fly them to Jeddah. The same plane comes back,

with passengers from Jeddah to Delhi. In a chartered flight, they have only one-way traffic. It is not possible for them to provide you an aircraft at the same ticket cost when, on one direction the plane has to get back empty. This is why there is a difference in the cost of rates that are charged by Air India for chartered flights, as opposed to the commercial rates that are available for those who buy tickets and come separately.

Why the Central Haj Committee not play a more active role, or rather, why does the Central Committee not take over the operation in Saudi Arabia? It is a very complicated question. Haj operations are not a two-monthly effort in the calendar. The moment the Haj of one year is concluded, the efforts for the next year's Haj begin. It is not possible for the Central Haj Committee to be present in Saudi Arabia continuously. It is not possible for them to have a continuous operation of all the efforts and the preparation that need to go in for a successful conclusion of a Haj.

Has this effort or has the current system worked well? I would like to believe that it has worked well, and my Ministry also certainly believes so. In fact, we have figures to support this. At the end of Haj 2000, the Consul General, Jeddah, who looks after a large part of the Haj work, circulated a post-Haj survey form to a large number of Hajis; this was not just in English, it was in Hindi, Urdu, Malayalam and Tamil also. A large number of responses were received. If you look at the responses that were given, you will find that once these were tabulated, only five per cent of the pilgrims found the accommodation at Mecca unsatisfactory; only seven per cent found the accommodation at Madina unsatisfactory; 5.9 per cent found the staff at Mecca uncooperative, and 8.4 per cent found the staff at the Airport unsatisfactory. Only three per cent found the medical services unsatisfactory. Given the overall number of pilgrims and the amount of effort that goes into this, I am sure, the House will agree that it is a huge labour of love, and a lot of effort goes into ensuring such amount of satisfaction on the part of such a large number of Hajis who travel from India to Saudi Arabia. That having been said, Mr. Vice Chairman, there is no place for complacency. My Ministry, the Government, my officials, in place in Saudi Arabia, in fact, the Central Haj Committee and the State Haj Committees -- our consistent and constant effort is to improve year in, year out, the Haj arrangements. Every year, we learn from our experiences, from the mistakes that we have made and seek to improve on them. Some of the lessons that we have learnt previously, that is, in the year 2000-2002, we corrected. Those who have

been for Haj will know that on arrival in Jeddah, where, earlier they used to be given bank drafts, they had to wait in lines at the banks for 6-7 hours in order to convert those bank drafts into Saudi Riyals. From this year, *i.e.* 2002 Haj, what was done was that with bank counters open at the airports in India itself, Saudi Riyals were handed over to Hajis in order to spare them that 6-8 hours' wait at the airport in Saudi Arabia. Aside from this, there have been problems with luggage. One of the hon. Members mentioned that Hajis are not allowed to fly back with their aab-e-zum-zum. This, I must admit, Mr. Vice-Chairman, Sir, caught me by surprise, because upto 10 litres of aab-e-zum-zum is allowed to be carried by all Hajis in their accompanied baggage. So, there is no question of the aab-e-zum-zum coming at a later stage. What happens is that when their baggage exceeds the approved limit, then the excess baggage comes later in cargo flights, but aab-e-zum-zum comes as an accompanied baggage. In fact, the airlines have aab-e-zum-zum bottles on the flight to be given to those pilgrims, who have for some reason either misplaced this or have not been able to carry any aab-e-zum-zum in the flight with them. One of the hon. Members made reference to the fact that why should an *ex-officio* member, not be a non-muslim. Mr. Vice-Chairman, Sir, the simple fact is that *ex-officio* members of the Central Haj Committee are required to go to Mecca Sharief, Madina Sharief in connection with the arrangements that are to be made there, and, as we all know, Saudi law prohibits non-Muslims from entering the municipal limits of Mecca Sharief and Madina Sharief. Therefore, if we were to have non-Muslim as *ex-officio* members, I am sure, the House would understand that it would be a hindrance to their being able to carry out their activities, as they would not be allowed to enter the two main cities where their activities would have to be carried out. Aside from this, suggestions were made about investments to be made by the Central Haj Committee. This is a very good suggestion. The avenues for investments and where these investments can be made, can be taken up by the Central Haj Committee, once the by-laws have been agreed. If you have read the Bill that we are seeking to pass today, the by-laws of the Central Haj Committee will be decided only once Parliament agrees the Haj Committee Bill. This is exactly why there are a number of open areas that Members talked about, areas with regard to selection of ex-officio members, investment areas, etc. One hon. Member asked how it is that the zonal representatives will be selected for representation in the Central Haj Committee. Mr. Vice-Chairman, Sir, I am sorry, I stand corrected. The E.O. on my notes which I took for *ex-officio,* actually means Executive Officer.

So, it is the Executive Officers who will have to be Muslims, so that they can travel to Mecca and Madina Sharief. Even now, as I was saying the question was asked as to how zonal representatives would be selected for inclusion in the Central Haj Committe. All this will be agreed upon when by-laws are drafted, and as I said, the by-laws will be drafted once this Bill is passed by Parliament. So, Mr. Vice-Chairman, Sir, with this, without seeking to take too much time or rather more time of the House, I would like to thank all the Members for participating in this debate, for their very valuable suggestions. We will, in future, also seek to incorporate as many suggestions as possible into actions of the Government, and the Central Haj Committee, because, ultimately, our endeavour is to ensure the smoothest possible Haj for all the Hajis who go from here. With these words, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would request this House to pass this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): The question is :

"That a Bill to establish a Haj Committee of India and State Haj Committees for making arrangements for the pilgrimage of Muslims for Haj, and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. We take up clause 2. There are two amendments by the Minister.

Clause 2 - Definitions

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move :

3. That at page 1, line 9, *for* the words "bye-laws" the words "the bye-laws" be *substituted*.

4. That at page 2, line 5, *for* the words "Official Gazette" the word "Gazette" be *substituted*.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now we take up clause 3. There is one amendment by the Minister.

Clause 3 - Constitution and incorporation of the Haj Committee of India.

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move:

5. That at page 2, *for* lines 24 to 27, the following be *substituted*, namely:

"(3) The Committee shall have its headquarters at Mumbai and as and when the Committee considers it functionally necessary, additional regional offices may be opened in consultation with the Central Government."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we take up clause 4. There are three amendments by the Minister.

Clause 4 - Composition of Committee.

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move :

6. That at page 2, *for* lines 36 and 37, the following be substituted, namely:-

(ii) nine Muslim members of the Committee shall be elected, three from those States sending largest number of pilgrims during last three years and one each from the zones as specified in the Schedule, in such manner as may be prescribed:

Provided that not more than one member shall be elected from a State falling in the zone as specified in the Schedule."

7. That at page 2, line 41, *for* the word "six" the word "seven" be *substituted*.

8. That at page 3, *for* line 1, the following be *substituted*, namely:-

"(b) two women members, out of them one shall be Shia Muslim;"

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we take up clause 6. There is one amendment by the Minister.

Clause 6 - Term of Office

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move :

9. That at page 3, line 8, the words "not less than" be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we take up clause 7. There are six amendments by the Minister.

Clause 7 - Chairperson and Vice-Chairpersons

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move :

10. That at page 3, line 16, *after* the word "convene" the words "within forty-five days of such publication" be *inserted*.

11. That at page 3, *after* line 17, the following proviso be *inserted*, namely:-

"Provided that a Minister shall not be the Chairperson of the Committee and *ex-officio* members shall not take part in the election of the Chairperson or of the Vice-Chairpersons."

12. That at page 3, line 18, *for* the words "a Chairperson or vice-Chairpersons" the words "the Chairperson or the Vice-Chairpersons" be *substituted*.

13. That at page 3, *after* line 24, the following proviso be *inserted*, namely:

"Provided that till such bye-laws are made, the Vice-Chairpersons shall exercise such powers and discharge such duties as may be determined by an order made by the Chairperson in this regard."

14. That at page 3, *for* lines 27 to 29, the following be *substituted*, namely:

"(6) The term of office of the Chairperson and the Vice-Chairpersons, as the case may be, shall be co-terminus with the term of the Committee and no person shall hold office of the Chairperson or the Vice-Chairpersons, as the case may be, for more than two consecutive terms."

15. That at page 3, line 31, *after* the words "be filled" the words "for the remainder of the term" be *inserted*.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we take up clause 9. There are two amendments by the Minister.

Clause 9 - Duties of Committee

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move :

16. That at page 3, *for* line 46, the words be *substituted*, namely:-

(iii) to give relief to pilgrims in distress;"

17. That at page 4, line 7, *for* the words "to negotiate and co-operate with" the words "to co-ordinate with the Central Government" be substituted.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clause 10 was added to the Bill

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) : Now, we take up clause 11. There is one amendment by the Minister.

Clause 11 - Appointment of Standing Committees and sub-Committees

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move :

18. That at page 4, *for* lines 29 to 32, the following be *substituted*, namely :-

"(11). (1) the Committee shall appoint two Standing Committees, each headed by a Vice-Chairperson of the Committee, to deal with matters relating to finance and Haj

arrangements, from amongst its members consisting of such number of members and with such powers and functions as may be determined by bye-laws made in this behalf by the Committee:

Provided that the Chairperson shall preside over the meeting of the Standing Committee in case he attends the meeting."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we take up clause 12. There is one amendment by the Minister.

Clause 12 - Disqualification for being appointed, or for continuing as a member of Committee

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move :

19. That at page 4, line 40, the words, brackets and figure "sub-section (1) of" be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clauses 13 and 14 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) : Now, we take up clause 15. There is one amendment by the Minister.

Clause 15 - Filling of a Casual Vacancy

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I beg to move :

20. That at page 5, line 20, *after* the word "nominated" the words "or elected, as the case may be" be *inserted*."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Clause 16 -- (Chief Executive Officer and other employees)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

21. That at page 5, *after* line 33, the following proviso be *inserted*, namely:-

"Provided that in case of any differfence of opinion between the Chief Executive Officer and the Committee, he shall bring the matter to the notice of the Central Government, whose decision thereon shall be final.";

22. That at page 5, lines 34 and 35 be *deleted*.

23. That at page 5, line 36, *for* the brackets and figure "(6)' the brackets and figure "(5)" be *substituted*.

The qestions were put and the motions were adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 -- (Establishment and incorporation of State Haj Committee)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

24. That at page 6, after line 3, the following be inserted, namely:-
"(2) The State Committee shall be a body corporate, by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, to create a charitable trust or endowment, and to contract and shall by the said name sue and be sued.";

25. That at page 6, line 4, *for* the brackets and figure "(2)" the brackets and figure "(3)" be *substituted*.

26. That at page 6, line 16, *for* the brackets and figure "(3)" the brackets and figure "(4)" be *substituted*.

27. That at page 6, line 20, *for* the brackets and figure "(4)" the brackets and figure "(5)" be *substituted*.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clause 18 -- (Composition of State Committee)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

28. That at page 6, line 22, *for* the words "thirteen members" the words "sixteen members" be *substituted*.

29. That at page 6, line 32, *for* the words "two members" the words "five members" be *substituted*.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

Clause 19 was added to the Bill.

Clause 20 -- (Term of Office)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

30. That at page 7, line 2, the words "not less than" be deleted.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

Clause 21 -- (Chairperson)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

31. That at page 7, line 7, after the word "convene" the words "within forty-five days" be *insertd*.

32. That at page 7, *after* line 8, the following proviso be *inserted*, namely:- "Provided that an ex-officio member shall not take part in the election of the Chairperson.".

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 21, as amended, was added to the Bill.

Clause 22 -- (Reconstitution of a State Commitee)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

33. That at page 7, line 20, for the word "members" the word "member" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 22, as amended, was added to the Bill.

Clause 23 -- (Disqualification for being appointed, or for continuing as a member of Committee.)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

34. That at page 7, after line 26, the following be inserted, namely:-

"(ii) is not a resident of that State;"

35. That at page 7, lines 27, 29 to 32 and 34, for the brackets and Roman Numerals "(ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii)" the brackets and Roman Numerals "(iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii)", respectively be substituted.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clauses 24 to 28 were added to the Bill.

Clause 29 -- (Executive Officer and other employees of State Committee)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

36. That at page 8, line 33, for the words "Under Secretary" the words "Deputy Secretary" be substituted.

37. That at page 8, after line 37, the following Proviso be inserted, namely:-

"Provided that in case of any difference of opinion between the Executive Officer and the State Committee, he shall bring the matter to the notice of the State Government whose decision thereon shall be final."

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

Clause 30 (Central Haj Fund)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

38. That at page 9, *for* the word "Government" the words

"Central Government" be substituted. "

The question was put and the motion was adopted.

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

Clause 31 (*Application* Central Haj Fund)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

39. That at page 9, line 18, after the word and figure "section 9" the word "and" be inserted.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 31, as amended, was added to the Bill.

Clause 32 (State Haj Fund)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

40. That at page 9, line 29, *for* the word "sources" the word "source" be substituted.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

Clause 33 was added to the Bill.

Clause 34 (Accounts and audit)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

41. That at page 10, line 5, for the words "both Houses" the words "each House" be substituted.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 34, as amended, was added to the Bill.

Clause 35 (Powers of Committee to issue Pilgrim Passes and levy fees)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

42. That at page 10, line 11, for the word "pilgrims" the word "pilgrim" be *substituted*.

43. That at page 10, line 13, for the word "Passport" the word "Passports" be *substituted*.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 35, as amended, was added to the Bill.

Clauses 36 to 43 were added to the Bill.

Clause 44 (Power to make rules)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

44. That at page 12, lines 3 and 4, for the words, brackets and figure "power, under sub-section (1)", the word "powers" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 44, as amended, was added to the Bill.

Clause 45 (Power to make bye-laws)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

45. That at page 12, line 40, after the word "under" the words, brackets and Roman Numeral "clause (viii) of" be inserted.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 45, as amended, was added to the Bill.

Clause 46 was added to the Bill.

Clause 47 (Power to make rules by State Government)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

46. That at page 13, line 15, for the word "power" the word "powers" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 47, as amended, was added to the Bill.

Clause 48 (Provisions as to employees of the existing Committee before the commencement of this Act)

SHRI OMAR ABDULLAH: I move:

47. That at page 13, line 37, for the word "employees" the word "employee" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 48, as amended, was added to the Bill.

Clauses 49 to 51 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we take up Clause 52. There is one amendment, No. 48, by Shri Omar Abdullah.

CLAUSE-52 --REPEAL

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

48. That at page 14, line 12, the words, brackets and figure "*sub-section* (2) of" be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 52, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) : Now, we take up the Schedule. There are two amendments, Nos. 49 and 50, by Shri Omar Abdullah.

THE SCHEDULE

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

49. That at page 15, line 2, *for* the figures and word "4 and 41" the figures, brackets, Roman Numeral and word "4 (ii) and 41 (1)" be *substituted*.

50. That at page 15, line 15, the word "THE" be *deleted*.

The questions were put and the motions were adopted.

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we take up Clause 1. There is one amendment, No. 1, by Shri Omar Abdullah.

CLAUSE-1-- (Short title and commencement)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

2. That at page 1, line 4, for the figure "2000" the figure "2002" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we take up the Enacting Formula. There is one amendment, No.1, by Shri Omar Abdullah.

ENACTING FORMULA

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

(1) That at page 1, line 1, for the word "Fifty-first" the word "Fifty-third" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): I will very frankly share with the House that I was a strong supporter of the Standing Committees System, but, I think, after this gruelling session, I have become a convert.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

1. **The Sugar Development Fund (Amendment) Bill, 2002.**
2. **The Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Second Amendment) Bill, 2002.**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(1)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Sugar Development Fund (Amendment) Bill, 2002, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th May, 2002."

(2)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Second Amendment) Bill, 2002, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th May, 2002."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, I adjourn the House till 11 a.m tomorrow.

The House then adjourned at forty-four minutes past six of the clock, till eleven of the clock on Thursday, the 9th May, 2002.

MGIPMRND—2651RS—4-7-2003.